

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



Azadi ke 75 Saal Udyam ka Amrit Kaal

ANNUAL REPORT | 2021-22
(Part-I)

Letter of Transmittal

No. ERDAV/05072022/OUT/2022/15682

July 05, 2022

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India
3rd Floor, Jeevan Deep Building, Sansad Marg,
New Delhi - 110001

Dear Sir,

Annual Accounts and Report on the working of SIDBI – FY 2021-22

In accordance with the Provisions of Section 30(5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, we forward herewith the following documents:

- 1) Copy of Annual Accounts of Small Industries Development Bank of India for the financial year ended March 31, 2022; and
- 2) A report on the working of the Small Industries Development Bank of India during the financial year ended March 31, 2022.

Yours faithfully,



(Sivasubramanian Ramann)
Chairman & Managing Director

Encl.: As Above

Board of Directors of SIDBI

As on July 05, 2022



Shri Sivasubramanian Ramann
Chairman & Managing Director



Shri V. Satya Venkata Rao
Deputy Managing Director



Shri Sudatta Mandal
Deputy Managing Director



Shri Shailesh Kumar Singh



Shri Lalit Kumar Chandel



Shri B. Sankar



Shri Krishna Singh Nagnyal



Shri Monomoy Mukherjee



Shri G. Gopalakrishna



Shri Ashish Gupta



Smt Nupur Garg



Shri Amit Tandon

Chairman and Managing Director's Statement



Advent of digital lending, supported by advancements in technology is playing an important role in bringing long overdue change in MSME credit narrative. Taking cognizance of the evolving times, the Bank has sharpened focus on making available technology driven financial instruments, products and systems.



With GDP increasing by 8.7% in FY 2022 compared to a fall of 6.6% in FY 2021, the Indian economy is beginning to show signs of a secular recovery. The growth has been supported by increased expenditure towards infrastructure by GoI, strong crop production, buoyant export growth and the supportive policy of the Reserve Bank of India (RBI).

Contact-intensive sectors are also witnessing pick-up in activity due to opening of the economy and vaccination of around 90% of Indian population, with inoculation continuing to be an active work-in-progress. Fiscal policy, focussed on mitigating the adverse impact of COVID pandemic and stepping up capex are likely to guide India in achieving a stable, self-reliant economy with strong fundamentals.

We, at SIDBI, are working towards strengthening and deepening the MSME sector and making it a strong foundation for the recovering economy. SIDBI aims at growing its balance sheet to ₹5 trillion in the next two years, and facilitating credit to MSME sector to

that effect, in line with the GoI vision of making India a USD 5 trillion economy. Concerted efforts are being made by the Bank to achieve the vision. The Bank has been actively engaging with various stakeholders for development of the MSME ecosystem, simplifying credit delivery and positioning MSMEs as the champions of growth.

Advent of digital lending, supported by advancements in technology is playing an important role in bringing long overdue change in MSME credit narrative. Taking cognizance of the evolving times, the Bank has sharpened focus on making available technology driven financial instruments, products and systems. SIDBI has been pioneer in developing digital interventions like PSBLoansin59minutes and Receivables Exchange of India (RXIL) (TReDS platform). Bringing convergence in the developmental and financing roles of the Bank, SIDBI is developing new channels for credit intervention. One such channel, GST Sahay, a first reference app for invoice-based financing (not invoice discounting) for small businesses, is under development.

Another digital intervention aimed by the Bank is the MSME Formalisation Project, targeted to provide MSMEs better digital access to Governance, Markets and Financial Services through an Udyam Assist Portal for inclusive onboarding of all MSMEs particularly informal sector. Udyam registration is expected to open new doors to informal sector to get financial assistance from banks/institutions, subsidy/incentives, etc. from Government and avail various other benefits under different schemes of Central Government/State Government. Additionally, SIDBI has also been streamlining and digitising its own credit processes creating an end-to-end solution starting from enquiry of loan to disbursement. The goal has been set to reduce the turnaround time and provide low-cost credit to the MSMEs.

SIDBI's MSME development agenda is being carried forward on the strong base of its employees who have re-invented and re-oriented themselves in catering to the MSME sector in these challenging times.

FINANCIAL PERFORMANCE

Despite the challenges posed by the pandemic, the Bank has continued its growth trajectory during the fiscal. Key financial highlights are as below:

- Asset Base of the Bank stood at ₹2,47,379 crore at the end of FY 2022, a Y-o-Y growth of 29%.
- Loans and Advances stood at ₹2,02,252 crore at the end of FY 2022, a Y-o-Y growth of 29%.
- Net Interest Income for FY 2022 stood at ₹3,012 crore, with Net Interest Margin at 1.5%.
- Bank registered Net Profit of ₹1,958 crore during FY 2022.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹36.79 in FY 2022.

BUSINESS PERFORMANCE

Institutional Finance accounts for approximately 93% of loans & advances of the Bank. Outstanding under Institutional Finance was at ₹1,87,885 crore at the end of FY 2022 which includes Refinance to Banks & SFBs (88.79%), Assistance to NBFCs (9.55%) and Assistance to MFIs (1.66%).

In consideration of the Bank's request, RBI had further provided SLF-II of ₹15,000 crore to address liquidity concerns of intermediaries, and SLF-III of ₹16,000 crore for innovative schemes to meet short- and medium-term needs of the MSME sector, especially smaller MSMEs, in credit deficient and aspirational districts. Under SLF-III, the Bank has assisted smaller NBFCs and MFIs operating in unserved / underserved regions, directly or through intermediation, in order to reach out to larger number of MSMEs. The Bank has launched special schemes in FY 2022 viz., 'SIDBI MSME COVID Response Fund (SMCRF)' with total corpus size of ₹1,000 crore

to provide funding to MSMEs / small businesses / Microfinance borrowers through investment in debt instruments of financial institutions (FIs) such as NBFCs, Fintech companies and Microfinance companies, **Partial Guarantee Pool Loan Issuance Scheme** wherein the Bank would provide loan to well managed and performing multiple small and mid-sized NBFCs and MFIs, which would be backed by a common partial guarantee provided by a third party / arranger, **Scheme of Assistance through Regulated Entities (REs) using two-tier financial Intermediation** will provide resource support to rated REs (NBFCs, MFIs, banks / SFBs) for on-lending to relatively smaller and unrated / low rated NBFCs / MFIs.

Direct Finance operations of the Bank during FY 2022 has focussed on continuous improvements / refinements in end-to-end digital credit process integrated across pre-origination, online application, due diligence/e-KYC, underwriting, sanction, disbursal, monitoring to achieve quicker and parameterised credit dispensation with enhancement in customer delight. In FY 2022, the direct credit portfolio has grown more than 22%. The Bank has been able to achieve significant growth in sanction, disbursements, outstanding and the customer base.

Under venture capital operations, the Bank is running Fund of Funds for Startups (FFS), ASPIRE Fund (AF) and UP Startup Fund. As on March 31,

2022, under FFS, SIDBI has achieved cumulative sanctions of ₹7,225.45 crore and disbursements of ₹2,492.24 crore to 86 AIFs.

PROMOTIONAL AND DEVELOPMENTAL INITIATIVES

The Promotional and Development (P&D) activities of the Bank are woven around strengthening the enterprise value chain by addressing financial and non-financial gaps in the MSME ecosystem, especially at the bottom of the pyramid. All the initiatives have been woven around Mission Swavalamban, which is an umbrella framework for inducing entrepreneurship culture and supporting various livelihood and entrepreneurship programmes.

A slew of initiatives have been undertaken under P&D operations for kindling entrepreneurship in youth, and towards inclusive and innovative engagements for reaching out to micro-entrepreneurs and budding entrepreneurs in the underserved segment. Some of the key initiatives include -

- Swavalamban Challenge Fund (SCF) wherein the prime objective is to provide financial support to development organisations / educational institution / startups who are working with a special focus on green initiative, sustainable livelihood, financial inclusion, health and sanitation, access to financial



The Asset Base of the Bank stood at ₹2,47,379 crore at the end of FY 2022, a Y-o-Y growth of 29%.

Chairman and Managing Director's Statement

services and promoting the culture of entrepreneurship. SCF is also open to projects that innovate, create jobs, leverage investments and markets to promote resilience and sustainable incomes, in these testing times. In FY 2022, 12 organisations have been awarded under Window I of SCF. Window II was also launched and 415 applications have been received.

- Swavalamban Connect Kendras (SCKs) are working as Counselling centres in 100 districts of UP, Bihar, Jharkhand, Telangana and Odisha. Around 46,000 aspirants have been outreached and 5,000+ handheld; 2,000+ enterprises have been set-up / scaled-up and 1,200 credit-connected under this initiative.
- Project Management Units (PMUs) have been set-up in total 16 states (including 11 which were set up in FY 2021), for closer engagement with states to strengthen MSME ecosystem along with transferring the good practices among the states, in line with the UK Sinha Committee recommendations.
- Swavalamban Assistance for Financial literacy, Adoption of villages and credit & market linkages - SAFAL under which Society for Advancement of Village Economy (SAVE) is being supported for a pilot intervention for adoption of at least 120 villages in the states of Bihar and Jharkhand, providing Financial Literacy Training to 2,400 Livelihood Entrepreneurs & Micro Entrepreneurs (LE/ME) (existing as well as prospective), including migrants, and ensuring their Credit & Market Linkages. In FY 2022, 121 villages have been adopted, 2,409 women entrepreneurs have been provided financial literacy training, and credit linkage of 1,965 participants have



The P&D initiatives of the Bank have touched 4 lakh+ lives through 60+ programmes. These initiatives have resulted in creating 5,300+ enterprises, generated 21,000+ employment opportunities and capacity building of 3,000+ & up-skilling of 13,800+ artisans / homepreneurs / MSEs.

been completed. The project has now been expanded for adoption of 700 villages in 10 states to support 15,000 LE/MEs.

The P&D initiatives of the Bank have touched 4 lakh+ lives through 60+ programmes. These initiatives have resulted in creating 5,300+ enterprises, generated 21,000+ employment opportunities and capacity building of 3,000+ & up-skilling of 13,800+ artisans / homepreneurs / MSEs.

THOUGHT LEADER & FACILITATOR ROLE

As a Thought Leader, Bank has embarked upon several initiatives in partnership with the credit bureau to address information asymmetry in the ecosystem. Our Knowledge products, viz., "MSME Pulse", "Microfinance Pulse", "CriSidEx", "Industry Spotlight" and "Fintech Pulse", are designed to provide key data insights to policymakers and stakeholders. These are being published in various Indian languages to reach a larger audience.

The Bank plays an important role in implementation of the Government's MSME-oriented schemes. Apart from schemes such as CLCSS, MSE-CDP, Interest Subvention Schemes and the Partial Credit Guarantee Scheme,

the Bank has been assigned the role of implementation partner under PMSVANidhi Scheme of MoHUA, GoI, as well as the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) Scheme of MoFAHD, GoI, Project Management Agency for Production Linked Incentive (PLI) Scheme for manufacturing of Telecom and Networking Products of Department of Telecom and Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Pharmaceuticals of Department of Pharmaceuticals.

SUBSIDIARIES/ASSOCIATES NETWORK

I would like to acknowledge the role of Associate and Subsidiary networks of the Bank, which creates the all-encompassing MSME ecosystem for meeting varied needs of the sector. CGTMSE has cumulatively helped in creating 58.59 lakh MSE loan accounts for loan amount of ₹3.14 lakh crore till March 31, 2022. The units supported by CGTMSE have generated employment to the tune of 155 lakh and contributed ₹24,033 crore towards exports. MUDRA has extended cumulative financial assistance by way of Refinance of ₹53,051 crore in last 7 years to various Member Lending Institutions (MLIs). The RXIL TReDS platform has financed

13,62,327 invoices, aggregating to ₹23,735 crore. SVCL currently acts as the investment manager for eight funds. SVCL is in the process of setting up 3 new Funds, of which 2 Funds are being setup with the Government of Assam and Government of Tripura and the other Fund is a Pan India Fund. Rating agency Acuité has assigned more than 9,000 credit ratings (as on March 31, 2022) to various securities, debt instruments and bank facilities of entities spread across industries in India. On the PSBLoansin59minutes platform, since its launch, 5.01 lakh MSMEs have received In-principle approval of loans of which 3.64 lakh MSMEs have received final sanction of credit facilities from the lenders registered on the platform. Thus, the platform has become a significant digital intervention in providing credit to MSMEs with scope for new

interventions in line with an evolving and expanding digital landscape.

WAY AHEAD

We will continue to explore new engagements for the development of the MSME sector. Formalisation of informal sector is high on the agenda of SIDBI to enable these informal enterprises to avail various benefits of government schemes. Leveraging technology for focussed interventions to create a culture of entrepreneurship is the future that needs realisation and SIDBI is committed to delivering the same.



Sivasubramanian Ramann
Chairman & Managing Director



CHAPTER 1 MSME Outlook

India is transforming into a self-reliant economy. The support received and provided by the Atmanirbhar Bharat is being absorbed in the spirit of the nation. India's GDP has grown at 8.7% in FY 2022 as against contraction of 6.6% in FY 2021. It is expected to grow at 7.2% in FY 2023 (RBI). The success of the self-reliant economy is conditioned on the growth of the MSME sector.

The MSME sector contributes in a significant way to the growth of the Indian economy with a vast network of about 6.34 crore enterprises. This sector contributes to around 30% of India's GDP, over 45% of India's exports, while creating employment for about 11.1 crore people, which in terms of volume stands next to agriculture sector. The distribution of number of MSMEs is marginally skewed in favour of rural areas (with share of 51%) as against urban areas (with share of 49%) which is reflective of the gumption

that entrepreneurs across India exhibit despite varied challenges and limited infrastructure. This necessitates nurturing of the aspirations of these MSMEs and budding entrepreneurs.

Some of the recent measures undertaken by the Government of India (GoI) to provide an enabling environment for MSMEs include revision in the definition of MSMEs wherein composite criteria of investment in plant and machinery and turnover has been used for classification of MSMEs. Government has also included Retail and Wholesale trades as MSMEs. Pushing forward the MSME formalisation, GoI has launched the Udyam Registration portal for smoothening the registration process for MSMEs. This shall induce MSMEs to come into the fold of formalisation and avail the benefits of the various schemes and facilities extended to the sector.

Efforts have also been made to improve the formal credit flow to the MSME sector. These measures were well timed to provide relief to MSMEs during pandemic. Some of these measures include Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) as part of the Atmanirbhar Bharat Package to enable MSMEs tide over the distress caused by the pandemic, ₹20,000 crore subordinate debt for stressed MSMEs in need of equity support, disallowing global tenders up to ₹200 crore in government procurement to provide fillip to MSMEs, creating Self-Reliant India Fund with GoI as the sole anchor investor with the initial budgetary support of ₹10,000 crore to the mother fund in phased manner which shall stand leverage to the extent of ₹50,000 crore through Daughter Funds.



MSME Outlook: The Way Forward

The MSME outlook shall be guided by various global and domestic factors which will likely impact the MSME sector, a key player in the value chain of the economy.

The global economy is expected to witness pressures on prices due to protracted war in Europe and the accompanying sanctions, fast pace of monetary policy normalisation by advanced economies (AEs) leading to heightened volatility in global financial markets. As a consequence, appreciation of US dollar / depreciation of Emerging Market Economies (EMEs) currencies, capital outflows from EMEs are being witnessed. Further, slowdown in the global economic activity and rising inflation are raising concerns of stagflation.

On the domestic front, while inflation levels are elevated, economic activity has gained traction. As per RBI OBICUS survey, capacity utilisation of the manufacturing sector improved to 75.3% in Q4:2021-22 from 72.4% in Q3:2021-22. Going ahead, the investment activity is likely to be supported by the capex push by GoI, improved capacity utilisation, recovering demand in rural and urban areas. Going forward, this shall bode well for the MSME sector. Elevated prices of commodities and increases in policy interest rate impacting lending rates to the sector are some of the downside risks to the MSME sector.

Several measures are being undertaken for the holistic development of the sector. In the Union Budget 2022-23,

the ECLGS has been extended up to March 2023 with the guarantee cover expanded by ₹50,000 crore earmarked exclusively for the hospitality and related services. This shall provide much-needed relief to such contact intensive sectors in the post-COVID world. An outlay of ₹6,000 crore for Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) was also announced in the Budget to make the sector more resilient, competitive and efficient. Further, Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme shall be revamped with required infusion of funds which shall facilitate additional credit of ₹2 lakh crore for Micro and Small Enterprises and expand employment opportunities.

Timely and adequate credit to the MSME sector is the crucial link which needs strengthening. Digital lending and various facets of technology is the enabler that can address the challenges of lack of proper documentation, inability to provide adequate collateral, information asymmetry, onerous application processes that turn MSMEs towards informal credit at higher interest rate. Buttressed by the increasing formalisation of MSMEs in India, onboarding on e-commerce platforms, use of digital payment methods creating a digital footprint, digital lending can cater to the MSME sector by faster credit dispensation, automated account analysis with minimal physical interactions between lenders and borrowers. It may be relevant to mention that emerging data points due to increased digitisation may

also shape and transform the credit underwriting process in the near future. For instance, transition from asset-based lending to cash-flow based lending with low transaction costs can provide adequate credit to the MSME sector without requirement of physical collateral. In this direction, GST Sahay, a first reference app for invoice-based financing is under development by SIDBI.


As the economy is gaining traction, MSME sector shall assume significant role in the recovery of the economy. Going forward, the outlook of the MSME sector shall be supported by the policy interventions by the GoI, various digital enablers like Udyam registration portal, GST Network, TReDS platform and the budding domestic and international demand. Digital lending can help formalise the informal credit intake of MSME by bringing in fold the MSMEs presently operating in the informal sector.

The MSME sector is set to take centre-stage and charter the growth story of India. The policy and digital enablers are targeted to make the MSMEs champions of growth and significant contributors in the Amrit Kaal, the 25-year-long leadup to India@100.

CHAPTER2 Business Initiatives and Overall Operations


Small Industries Development Bank of India (SIDBI) was established under an Act of Parliament in 1990. SIDBI is the Principal Financial Institution engaged in Promotion, Financing & Development of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, and coordinating the functions of various Institutions engaged in similar activities.

Implementation of the Bank's MSME Financing Program are executed through the following interventions:



PROMOTIONAL & DEVELOPMENTAL ROLE

All of the P&D initiatives have been built around "Mission Swavalamban," an overarching framework for fostering an entrepreneurial culture and assisting several livelihood and entrepreneurship programs.



BANK'S FOOTPRINT

The Bank's footprint at the end of FY 2022 included:

10

Regional Offices

82

Branch Offices & Extended Branch Office

3

SARBs (Specialised Asset Recovery Branches)

6


ELSCs (Express Loan Service Centres)

Back-end and policy support extended by Head Office Verticals stationed at Lucknow, Mumbai and New Delhi

Business Performance at a Glance

The business performance of the Bank for the last two financial years are as under:

(₹ in crore)



Sanction Disbursement Outstanding

*Excludes Receivable Finance & Bill Discounting outstanding of ₹24 crore in FY 2021 & ₹37 crore in FY 2022 respectively. Total sanctions of the Bank increased by 53% and disbursements increased by 50% in FY 2022 over FY 2021.


Financial Performance

LOANS AND ADVANCES

Loans and Advances of the Bank crossed the landmark of ₹2 lakh crore and stood at ₹2,02,252 crore as of March 31, 2022, an increase of 29% over FY 2021.

Loans and Advances

(₹ in crore)




ASSET BASE

The Asset Base of the Bank stood at ₹2,47,379 crore at the end of FY 2022, a Y-o-Y growth of 29%.

The resources raised/liabilities of the Bank had increased mainly on account of increase in Borrowings (deposits from banks under PSL shortfall, borrowings from RBI, market borrowings, etc.). Capital and Networth increased due to conversion of Tier I bonds into capital.


Asset Base

(₹ in crore)



Asset Profile


(₹ in crore)



- Cash & Bank Balances
- Investments
- Loans & Advances
- Fixed Assets
- Other Assets

Liability Profile

(₹ in crore)




- Capital
- Reserves, Surpluses & Funds
- Deposits (incl. PSL shortfall)
- Other Liabilities and Provisions
- Deferred Tax Liability
- Borrowings

INCOME AND MARGINS

Total Income for FY 2022 stood at ₹9,139 crore, a decline of 18% as compared to FY 2021. Net Interest Income for FY 2022 also declined by 18% to ₹3,012 crore. The Net Interest Margin has declined by 54 bps in FY 2022 vis-à-vis FY 2021 and stood at 1.5%. Decline is in line with declining interest rate scenario and Bank's commitment to increase flow of credit to MSMEs at competitive rates.


(₹ in crore)



NET PROFIT

The Bank registered Net Profit of ₹1,958 crore during FY 2022, a decline of 18% as compared to FY 2021.

(₹ in crore)



OPERATING EXPENSES & COST TO INCOME RATIO


Operating expense for FY 2022 was ₹698 crore, a Y-o-Y increase of 25% from FY 2021. The Cost-to-Income ratio increased to 20% during FY 2022.

(₹ in crore)




ASSET QUALITY METRICS

Gross NPA stood at 0.11% and Net NPA stood at 0.07% as on March 31, 2022, an improvement of 7 bps and 5 bps, respectively, as compared to FY 2021.



SHAREHOLDERS' RETURNS

Earnings per Share (EPS) stood at ₹36.79 in FY 2022 as against ₹45.09 in FY 2021.



OTHER KEY PARAMETERS

Provision Coverage Ratio (PCR) was at 96% at the end of FY 2022 as compared to 93% at the end of FY 2021.

Capital Adequacy Ratio was at 24.28% at the end of FY 2022 as compared to 27.49% at the end of FY 2021.

Business per employee increased to ₹205.54 crore in FY 2022 vis-à-vis ₹154.08 crore in FY 2021. Net Profit per employee stood at ₹1.99 crore during FY 2022.


Business Performance

INSTITUTIONAL FINANCE


Institutional Finance accounts for approximately 93% of loans & advances of the Bank. Outstanding under Institutional Finance was at ₹1,87,885 crore at the end of FY 2022. The composition of Institutional Finance is as below:

Composition of Institutional Finance

(₹ in crore)



Components of Institutional Finance



REFINANCE TO BANKS (INCL. SFBs) & SFCs

Through the refinance operations, Bank augments PLIs' resources to increase flow of credit to MSEs. Bank's Refinance outstanding stood at ₹1,66,832 crore as on March 31, 2022, registering Y-o-Y growth of 26.71%. Bank has 32 commercial banks and 10 SFBs as live customers as of FY 2022.

Cumulative disbursements under corpus allocated by RBI out of Priority Sector Lending shortfalls stood at ₹2,15,678.79 crore as on March 31, 2022, benefiting 33.34 lakh MSE end-borrowers of various banks.

ASSISTANCE TO NBFCs

The Bank's NBFC asset book stood at ₹17,935 crore in respect of 54 NBFCs.

Special Schemes launched in FY 2022

FINANCING UNDER RBI SPECIAL LIQUIDITY FACILITY II

NBFCs with a minimum rating of BBB- and above have been assisted to address the liquidity needs of the MSME sector affected by the COVID-19 pandemic.

FINANCING UNDER RBI SPECIAL LIQUIDITY FACILITY III

To reach out to the smallest of the MSE enterprises, SIDBI launched Double Intermediation-2021 Scheme (FARE-DI-2021) for NBFCs. The scheme envisages double intermediation through SIDBI providing resource support to Regulated Entities (REs) for on-lending to relatively smaller and unrated / low rated NBFCs/ MFIs engaged in financing ultimately targeted Micro and Small enterprises.

CO-LENDING WITH NBFCs

To reach out to the underserved/unserved MSMEs, an MoU with one NBFCs has been signed and the operations are expected to commence in Q1 of FY 2023 in line with GoI/RBI focus on deepening the priority sector lending.

ASSISTANCE TO MFIs

The Bank through various interventions have enhanced the corporate governance and operational efficiency of the MFIs enabling smooth flow of adequate credit to the sector. The Bank had transformed the Microfinance sector of the country to a full-grown industry segment, culminating into several of the MFIs converting into Universal Bank / Small Finance Bank.

The cumulative assistance disbursed under SIDBI's microfinance initiatives up to March 31, 2022 aggregate to ₹23,460 crore benefiting around 4.83 crore poor clients. The outstanding Microfinance portfolio of SIDBI stood at ₹3,118 crore as on March 31, 2022.

Special Schemes launched during FY 2022

"SIDBI MSME COVID RESPONSE FUND (SMCRF)"

With total corpus size of ₹1,000 crore was launched, which aims to provide funding to MSMEs / small businesses / microfinance borrowers through investment in debt instruments of financial institutions (FIs) such as NBFCs, Fintech companies and Microfinance companies.

PARTIAL GUARANTEE POOL LOAN ISSUANCE SCHEME


The Bank provides loan to well managed and performing multiple small and mid-sized NBFCs and MFIs, which is backed by a common partial guarantee provided by a third party / arranger. The scheme has directed end-use aimed at smoothening the liquidity challenges faced due to the COVID-19 pandemic by institutions and businesses catering to the financial needs of millions of underserved in India.

SCHEME OF ASSISTANCE THROUGH REGULATED ENTITIES (REs) USING TWO-TIER FINANCIAL INTERMEDIATION

The scheme envisages double intermediation through SIDBI providing resource support to rated REs (NBFCs, MFIs, banks / SFBs) for on-lending to relatively smaller and unrated / low rated NBFCs / MFIs.

DIRECT LENDING

Direct Finance portfolio outstanding increased from ₹11,581 crore as of March 2021 to ₹14,150 crore as of March 2022, largely on account of higher traction under special schemes launched during the year viz. ARISE, STHAPAN, LIQUID 2.0, ECLGS and AROG/SHWAS.



Direct Finance portfolio outstanding increased from ₹11,581 crore as of March 2021 to ₹14,150 crore as of March 2022, largely on account of higher traction under special schemes launched during the year viz. ARISE, STHAPAN, LIQUID 2.0, ECLGS and AROG / SHWAS.

To reach a wider section of MSMEs, several initiatives/new products were launched with simplification of processes at policy and technology levels, besides expanding the scope of coverage of few existing products.



ARISE & STHAPAN


Under SLF-3, SIDBI had launched two new products under Direct Finance i.e., ARISE & STHAPAN. Till the end of FY 2022, aggregate loans of ₹2,852 crore had been sanctioned to 1,871 MSMEs, out of which, ₹1,853 crore had been disbursed.



TWARIT (EXTENSION) & LIQUID 2.0

During FY 2022, LIQUID 2.0 was launched and TWARIT scheme was extended. Both the schemes were under RBI SLF-II. Till the end of FY 2022, in both schemes, aggregate loans of ₹1,297 crore had been sanctioned to 2,148 MSMEs, out of which, ₹1,247 crore had been disbursed.

A Strategic Reorientation of Direct Lending business was initiated to maximise impact as detailed below:




Diversifying base

New initiatives / products had resulted in 16% increase in customers base and stood at 9,175 at the end of FY 2022. The widening of customer base had continued for the 3rd consecutive year, which had grown by 47% in past 3 years due to targeted lending to New to SIDBI [NTS] customers as well as through introduction of quick dispensation schemes and MoUs with OEMs & Industry Associations.



Faster delivery

The faster dispensation models had resulted in reducing Average Turn Around Time (TAT) in credit delivery. While the overall TAT was 11 days, the TAT for new & quick delivery products was around 9 days.



Building sustainable & quality portfolio

Reorientation in policy / structure helped the Bank to not only achieve 22% growth in direct credit portfolio at the end of FY 2022 vis-à-vis in FY 2021 but also enabled the Bank to create sustainable & quality portfolio. Net NPA stood at 1.64% of total direct credit portfolio as on March 31, 2022 (outstanding is net of provisions) as against 1.67% as on March 31, 2021.

B Business Enablers under Direct Finance

OEM / Industry Association Tie-Ups


To accelerate credit delivery to MSME sector, the Bank had increased its Credit Delivery Arrangements (CDA) to 45 Machinery Suppliers & 3 Industry Associations.

New tie-ups to provide Working Capital


The Bank tied up with Yes Bank and City Union Bank, in addition to existing IDBI Bank for providing Working Capital limit to MSMEs. Bank also launched a new scheme viz. SIDBI's Term Loan to Enhance Production of MSMEs (STEP) to provide Working Capital Term Loan (WCTL).

Launch of new & quick deliverable products

The Bank rolled out 9 new products / product variants (AROG, SHWAS, ARISE, STHAPAN, LIQUID 2.0, TWARIT (Extn), PM Wani, STEPS, USP etc.) mainly focussed on helping MSMEs fight COVID-19. Total sanctions and disbursement under new products during FY 2022 were approx. ₹5,214 crore (5,169 customers) and ₹4,286 crore (5,189 customers) respectively. Average loan size was around ₹99 lakh.



IV New Initiatives to meet the challenge of COVID-19



Timely Working Capital Assistance to Revitalise Industries in Times of corona virus (TWARIT)

Launched under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) in accordance with guidelines issued by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC) as per the directives of GoI and time to time modifications were undertaken due to change of operational guidelines by NCGTC. Total sanction under all versions of TWARIT as on March 31, 2022 was ₹2,217 crore (4,564 customers).

SIDBI Assistance to MSMEs for Recovery & Organic Growth during COVID-19 pandemic (AROG)

Launched during 2nd wave of COVID-19 to provide financial support to all MSMEs which are manufacturing products or providing services which are directly related to fighting corona virus at subsidised interest rate of 5.50%. Total sanction as on March 31, 2022 was ₹406 crore (329 customers).

SIDBI assistance to Healthcare sector in War Against Second wave of COVID-19 (SHWAS)

Launched to provide financial support to all MSMEs which are engaged in manufacturing Oxygen cylinders / Oxy generators / Oxygen concentrators / Liquid Oxygen for medical use or providing services which are directly related to supply of such items at subsidised interest rate of 4.50%. Total sanction as on March 31, 2022 was ₹84 crore (80 customers).

C Digital Initiatives and Internal Process Improvements under Direct Lending

The Bank had boarded upon a project **for end-to-end digital credit** delivery model from pre-origination to disbursement/monitoring. The process was linked with various public databases (viz. GST, ITR, bank statement, MCA, Credit Bureaus, etc.), along with e-KYC/Digital Document Execution (DDE) and integrated with online application portal and appraisal model i.e. SMART, thus enabling a single click customer due diligence and parameterised decision-making.

E-signing of Online Application

E-signing of Online Application through Registration API provided by National E-Governance Services Limited (NeSL) was released by the Bank. The Loan Documentation software got integrated with core services provided by NeSL for digital execution of legal documents.

Digital Documentation Execution (DDE)

DDE ensures automated completion of legal documentation through capture of e-signature of borrower/guarantor based on Aadhaar-based authentication through NeSL. DDE had been implemented in 22 states with some more states in the pipeline.



GST-based SME DNA

A product of Jocata named as 'SWARA [Source, Watch and Risk Analyse]', was launched as a supplementary risk assessment tool at the time of underwriting and for monitoring health of the assisted borrowers.

Advent of digital platforms riding on the capabilities of Fintechs/Account Aggregators, and availability of data related to credit history, business transactions, banking etc. had resulted in higher efficiencies in MSME credit sanctions.

D

Impact of Vertical's interventions

Due to end-to-end digitalisation of Direct Lending operation, the MSMEs have a seamless experience while seeking financial assistance from SIDBI.

Tiding the COVID wave - Impact created by SIDBI - Special Liquidity Facility

The Reserve Bank of India extended Special Liquidity Facility to SIDBI of ₹46,000 crore in three tranches to support the funding requirements of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

I

Under RBI's SLS-I of ₹15,000 crore, **SIDBI has disbursed ₹13,022 crore.**

II

Under RBI's SLS-II of ₹15,000 crore, **SIDBI has disbursed ₹15,371 crore.**

III

Under RBI's SLS-III of ₹16,000 crore, **SIDBI has disbursed ₹6,337 crore.**


Infrastructure Development - SIDBI Cluster Development Initiatives

SIDBI has been engaged in facilitating various hard and soft cluster interventions. Under the recommendations of U.K. Sinha Committee -

RBI had made an allocation of ₹6,990 crore to SIDBI to support the State Governments/State Government sponsored organisations to create infrastructure towards development of MSME clusters. In order to have focussed attention to important agenda of cluster development, SIDBI has setup an exclusive Cluster Development Vertical during FY 2022.

SIDBI Cluster Development Fund (SCDF) is holistic in nature covering nearly all segments of MSME cluster development falling under three broad categories viz. (1) Industrial and Agri-allied sectors in the MSME eco-space, (2) Social Sector projects in and around MSME clusters, and (3) Connectivity to MSME Clusters. The support will be offered by SIDBI to State Governments as a soft loan for a tenure of 7 years.

During FY 2022, In-principle commitment of ₹5,968.50 crore was made to 11 States and 1 UT. As on March 31, 2022, financial assistance had been sanctioned to 5 States against 37 projects (34 Greenfield and 3 Brownfield Projects) for an aggregate amount of ₹1,038 crore. Total disbursement of ₹180 crore had also been made under SCDF, against 22 projects.



EU Switch Asia Bamboo project: To generate an alternative source of livelihood for financially disadvantaged group as well as to promote an alternative for timber thereby safeguarding the environment, the project is being implemented in 26 districts of 9 states. Over 2,200 enterprises have been created under the project along with credit linkage to 1,386 enterprises.

MSME Cluster Intervention Programme (Business Development Services): Program in 5 clusters with focus on Institution capacity building, facilitate access to services, support MSMEs to become more competitive and clusters to become self-sustainable.

Energy Efficiency and Cleaner production initiatives: SIDBI's Green Climate and Energy Efficiency Centre is targeting 100 MSME clusters for promoting resource efficiency and cleaner production in the MSMEs for their survival, growth and competitiveness in long run. The initiative is expected to benefit around 4,000 MSMEs.

Green Financing

SIDBI has adopted a three-pronged approach, firstly, providing concessional financial assistance through dedicated Green Finance Schemes for mitigation and adaptation projects in MSME sector. Secondly, supporting various development activities leading to an enhanced awareness and creation of an ecosystem to facilitate the adoption of climate resilient measures by MSMEs. Thirdly, to encourage other Banks/FIs to finance Energy Efficiency projects through training, hand holding and Risk Sharing Facility support.

To increase the resilience of MSME sector to combat the climate change and with a view to facilitate greening of MSMEs in line with the country's commitments at Conference of Parties (COP26) at Glasgow.

Green - Thrust & Priorities

Support Policy push made in the Union Budget 2022 for climate action, clean energy, solar, e-mobility, battery, waste management, energy efficiency through Energy Service Companies (ESCOs).

During the year, SIDBI's initiatives were -

01

Green Financing Products

Launched "Green Finance Scheme" which covers sectors such as Renewable, Transport, Waste, Energy, Mobility etc., with adoption of Environment, Social, Governance (ESG) parameters. The existing schemes such as End to End Energy Efficiency (4E) financing scheme and TIFAC-SIDBI (Srijan) programme etc., have been revisited and simplified. Achieved 168% growth in outstanding of green loans during FY 2022.

02

Partial Risk Sharing Facility for Energy Efficiency project

Promoting energy efficiency projects implemented through Energy Service Companies (ESCOs). The facility provides Risk Sharing Facility for Energy Efficiency Projects assisted by the Participating Financial Institutions (PFIs). As on date, 13 Banks/NBFCs including SBI, BOB, Canara Bank, HDFC Bank, IREDA etc. have been empanelled as PFIs. Till FY 2022, 45 EE projects have been supported under the facility aggregating to a total project cost of ₹476.44 crore with a loan amount of ₹231 crore and guaranteed amount of ₹173.31 crore.



03

Cluster level intervention across India

Handholding support to 100 MSME clusters for adopting green and clean initiatives. In the long term, this will lead to significant reduction in energy consumption and Green House Gas (GHG) emission and resource consumption. This will support self-reliant and make in India initiative of Gol. During FY, activities have been initiated in the MSME clusters of Bihar and West Bengal targeting around 10,000 MSMEs.

04

Carbon Neutrality for SIDBI

SIDBI, in line with the announcement made at COP26 has decided to reduce its carbon footprint in a phased manner and eventually become carbon neutral by 2024 and net zero as next step. The initiative is expected to motivate other similar FIs and stakeholders.

Green Climate Fund (GCF)

SIDBI is working on potential projects and programs for submission to GCF. Ministry of Environment Forest and Climate Change (National Designated Authority of India) has given in-principle approval for the three projects aggregating around USD 1,250 Mn.

05

International Co-operations

SIDBI has revamped tie-ups with international partners and cooperation with AFD, ADB, KfW, GIZ, The World Bank, The Montreal Group, IDFC etc., SIDBI in partnership with AFD and Shakti has launched Green Indian Financial System (GIFS) Initiative which seeks to facilitate such dialogues and discussions on greening the Indian financial system. Discussions with GIZ and the World Bank country team are in progress for establishing the Risk Sharing facilities on Municipal Solid Waste and Compressed Bio-Gas respectively.

06


SIDBI shall continue to play the leadership role in encouraging such high impact climate change projects by providing debt funding as well as other support.



Risk Management

The Bank has put in place a comprehensive Risk Management System inclusive of Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Internal Capital Adequacy Assessment Process, Business Continuity Management, etc.

Risks associated with the Bank's lending and treasury operations, including off-balance sheet items, are constantly monitored, measured and managed under the overall supervision and guidance of Risk Management Committee (RiMC) of the Board.



Fund of Funds

Under Fund of Funds (FoF), SIDBI contributes to the corpus of SEBI registered Venture Funds / Alternative Investment Funds [category I & II only]. The VCFs / AIFs supported are required to invest specified amount of their corpus in MSMEs / Startups as per the mandate of the scheme.

SIDBI has been managing three Fund of Funds on behalf of respective Ministry / State Government viz. Fund of Funds for Startup (FFS) (a programme of DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, GoI), ASPIRE Fund (Ministry of MSME, GoI) and UP Startup Fund (on behalf of Government of Uttar Pradesh).

A brief outline on the active Fund of Funds are -

Assistance from SIDBI's own balance sheet / funds from specific sources

Regional / All India Venture Funds

SIDBI has been one of the earliest players in the venture capital domain. The initiative for supporting funds started in 1995, when SIDBI began contributing, initially to Regional Venture Funds and then to All India Venture Funds (pursuant to announcement in Union Budget – FY 1997).

MSME Risk Capital Fund (MSME-RCF)

SIDBI is also operating the MSME-RCF which was launched pursuant to Budget announcement in FY 2009. The fund stands fully committed. The VCFs / AIFs supported are presently in exit / divestment stage.

India Aspiration Fund (IAF)

IAF was launched on August 18, 2015 by Hon'ble Finance Minister. Total sanctions stand at ₹936 crore. As mentioned, no fresh sanctions are being committed out of IAF. The funds supported under IAF are in investment phase and commitments already made are being released as per requirements.

FoF Operations being undertaken on behalf of Ministries of GoI / State Government:

As mentioned above, presently, fresh investments are being undertaken by SIDBI in the capacity of operating manager / fund manager of 3 funds as per details below:

Fund of Funds for Startups (FFS) being operated on behalf of Dept. for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, GoI

As part of Startup India Action Plan, in June 2016, Union Cabinet approved Fund of Funds for Startups (FFS) with a corpus of ₹10,000 crore to be managed with SIDBI. This is the flagship programme of the GoI. SIDBI has achieved sanctions of ₹7,225.45 crore and disbursements of ₹2,492.24 crore as of March 31, 2022. A third-party evaluation has been undertaken for DPIIT by Shri Arun Jaitley National Institute of Financial Management recently and the report furnished in March 2021. The report has reflected well on the scheme operations / fund deployment process and multiplier effect.

ASPIRE Fund of Ministry of MSME, GoI

SIDBI is also managing a ₹310 crore "ASPIRE Fund" of Ministry of MSME, GoI with focus on Agro and Rural enterprises, which was formally launched on October 20, 2016 by Hon'ble Minister of MSME.

UP Startup Fund of Government of Uttar Pradesh

SIDBI is managing the ₹1,000 crore "UP Startup Fund" of Government of Uttar Pradesh. Funds of ₹20 crore have been released by GoUP and the same have been committed.

Other initiatives - Technological Interventions

The Bank, along with DPIIT, has organised a series of online pitching events for all the finalists of the National Startup Awards. Such initiatives have provided a platform to startups for engaging with the AIFs.

The Bank has introduced various technological interventions to automate the operations of Venture Capital Funds (VCFs). The entire application submission process was made online using a separate software platform. In addition to the application submission process, submission of drawdown requests by AIF and subsequent process of the same at Bank's end including portfolio management was also made online. The online platform also enables real-time data management of VCF portfolios.

The Bank introduced COVID-19 Startup Assistance Scheme (CSAS) to provide financial assistance in the form of WCTL to Startups affected by COVID-19. Under the scheme, 14 cases were sanctioned assistance aggregating to ₹21.68 crore.

Micro Lending / The Missing Middle

The Bank launched the PRAYAAS scheme to facilitate enterprise promotion and to bring down the cost of credit to borrowers at the bottom of the pyramid.

Under the PRAYAAS Scheme, Bank had sanctioned limits to 13 PIs [Financial Intermediaries including Fintechs = 11; Non-Financial Intermediaries = 2] out of which the operations with 10 PIs is under progress while the sanctioned limit in respect of other 3 PIs have since been expired.

Status of Operations as on March 31, 2022

An aggregate sanction of ₹417.70 crore was effected covering 27,343 beneficiaries and aggregate disbursement of ₹342.25 crore was effected to 21,529 beneficiaries. Out of the total disbursed cases under PRAYAAS, approx. 88% beneficiaries are from rural areas.



Development during the year 2021-22

SFMC Vertical (MFI & Prayaas) had organised the 3rd National Microfinance Congress 2022 at New Delhi. The focus of the Congress was on the growth and development of the microfinance ecosystem in the country by bringing together thought leaders, policy makers, regulators, bankers, academicians, practitioners and various other stakeholders from within and outside India to deliberate and debate on various such issues.

As part of the inauguration, the Hon'ble Finance Minister launched the SIDBI Swavalamban Challenge Fund Series III – Increasing Digital Footprint, whose objective is to support innovative ideas that can lead to larger impact by deploying digital technology for addressing barriers to access of financial services and for improving financial capability and health of low-income communities or in underprivileged geographies. The Fund aims to attract ideas that strive to move the needle in financial inclusion by creating cost effective digital models that make financial services 'accessible', 'understandable', 'user friendly', 'affordable' and 'relevant' for underserved segments.




Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman was the Chief Guest of the programme. The Congress was also attended by dignitaries from Department of Financial Services, Reserve Bank of India, representative from Multi-lateral agencies, Sector experts etc.

More than 150 participants/ different stakeholders viz. GoI, Regulators, Banks, Micro Finance Institutions (MFIs), Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Self-Regulatory Organisations (SROs), Non-Government Organisation (NGOs) etc., had participated in the event and made it successful.

Presented the 1st "Financial Inclusion Award" to Shri Brij Mohan, Ex-Executive Director, SIDBI for his contributions to the microfinance sector.

Thought Leadership and Structural Initiatives

The Bank continued to address information asymmetry and provide directional support to policy makers.




Aggregator Role

STAND-UP MITRA & UDYAMIMITRA PORTALS (TWIN PORTALS)

(www.udyamimitra.in , www.standupmitra.in)

SIDBI, with support of DFS, developed the Stand-Up India portal and Udyamimitra portal in 2016 for the launch of the Stand-Up India program of the Government of India. As on date, over 400 banks, NBFCs and MFIs are registered on the portal connecting over 1.47 lakh branches of banks/NBFCs.

Through such implementations, SIDBI created separate front facing portals for each ministerial program providing them the due branding and respective ecosystem onboarding along with seamless integration with Udyamimitra at backend resulting in emergence of Udyamimitra platform as a powerful asset for SIDBI. The various program portals connected are mentioned below:



Over the last 2 years, the revamped Udyamimitra portal enabled SIDBI to execute digital implementation of several credit/MSME linked schemes under different ministries of Government of India. These digital projects were customised involving workflows for multiple stakeholders of the respective ministries. Additionally, SIDBI also extended its expertise in scheme formulation. This plug-n-play model ensured a very low turnaround time for onboarding these schemes on the platform in addition to providing significant efficiency in program implementation.

Name of Program	Name of Ministry	Program Portal
Stand Up India	Department of Financial Services - Ministry of Finance	https://portal.standupmitra.in/
National Livestock Mission	Department of Animal Husbandry & Dairying - Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying	https://nlm.udyamimitra.in/
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund	Department of Animal Husbandry & Dairying - Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying	https://ahidf.udyamimitra.in/
Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Pharma	Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers	https://pli-pharma.udyamimitra.in/
Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Telecommunications	Department of Telecommunications, Ministry of Communications	https://pli-telecom.udyamimitra.in/
PM SVANidhi	Ministry of Housing and Urban Affairs	www.pmsvanidhi.mohua.gov.in

Facilitator Role

PM SVANidhi (Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) Scheme

The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India, launched the PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme to make it easier for urban street vendors (SVs) to get affordable working capital loans, after a COVID-induced lockout.

SIDBI, as implementing agency of the scheme, launched a portal on July 02, 2020.

SIDBI modified and developed multiple functionalities, processes and features on the Portal including Mobile App for Lending Institutions (LIs), ULBs, States and all other stakeholders. Digitisation of loan process helped LIs to source and process large number of applications which provided huge impetus in implementing the scheme. This helped to bring SVs, who were largely out of banking credit facilities, into formal lending channel and cultivate banking habit.

The status of Loan under the scheme as on March 31, 2022 is mentioned below:

Loan Type	Eligible Applications (No. in lakh)	Sanctions (No. in lakh)	Loan Disbursed (No. in lakh)	Disbursed Amount (₹ in crore)
1 st Loan	42.10	33.36	29.27	2,902.80
2 nd Loan	3.03	2.00	1.70	338.50

So far 17.5 crore digital transactions were carried out by 11.1 lakh digitally active SVs. ₹10.58 crore cashback subsidy has been released to 10.59 lakh SVs. This enhanced their digital literacy and also enables SVs to be a part of digital economy.

₹51.78 crore was released as interest subsidy directly in the accounts of Street vendor to decrease their burden of interest rates charged by lenders.

The implementation of the scheme is well recognised at the highest level in Government of India and brings accolades to SIDBI.

01

Interest Subvention Scheme for Mudra - Shishu Loans

- ▶ SIDBI is acting as a Nodal Agency for the purpose of channelising of interest subvention to the various MLIs of MUDRA through their Nodal office.
- ▶ So far, SIDBI has received an amount of ₹775 crore from DFS, MoF, Gol, out of which, SIDBI had settled aggregate claims of ₹661.43 crore received from 104 MLIs, as on date. Further, around 3.20 crore Shishu beneficiaries have so far availed benefits of Interest Subvention Scheme under Mudra Shishu Loan.

02

Extended Partial Credit Guarantee Scheme (also known as PCGS 2.0) offered by Gol to Public Sector Banks (PSBs) for purchase of (a) high rated pooled assets and (b) Bonds/CPs of NBFCs/HFCs/MFIs

- ▶ To address temporary liquidity / cash flow mismatches of otherwise solvent NBFCs/HFCs/MFIs.
- ▶ SIDBI took up the work for evaluation of proposals, keeping record of transactions and determination of guarantee headroom, examination of claims and monitoring of recoveries in account for which guarantee was invoked.
- ▶ Under Pooled Assets, SIDBI had recommended 60 proposals aggregating ₹11,769.58 crore purchased by Public Sector Banks to DFS, MoF, Gol. Guarantee worth ₹1,176.67 crore was executed.
- ▶ PSBs had purchased Bonds/CPs worth ₹22,217 crore under Portfolio Guarantee. Guarantees in respect of all proposals executed.
- ▶ So far, ₹169.70 crore guarantee claim received from five PSBs forwarded to DFS for consideration.

03

Interest Subvention Scheme - Ministry of AYUSH

- ▶ Ministry of Ayush (MoA), GoI launched a new initiative "Establishment of AYUSH Super Specialty Hospital/Day Care Centres under the Champion Services Sectors" by providing Interest Subvention against sanctioned loans by Public Sector Banks (PSBs) to the greenfield units who are setting up AYUSH Super Specialty Hospital/Day Care Centres at 155 locations in the country.
- ▶ The model will be adopted for the private investors & units in descending order for a period of 5 years, whereas maximum subvention of each private investor & unit will be capped at ₹8.15 crore.
- ▶ SIDBI has been nominated as the single national level nodal implementation agency for this Scheme and MoU has been executed between MoA, GoI and SIDBI.

04

Production Linked Incentive (PLI) Scheme for manufacturing of Telecom and Networking Products

- ▶ The scheme was launched by DoT with the objective to boost domestic manufacturing in the telecom and networking products by incentivising incremental investments and turnover with total outlay of ₹12,195 crore.
- ▶ The support under the Scheme shall be provided for a period of five (5) years, i.e. from FY 2021-22 to FY 2025-26.
- ▶ SIDBI is the Project Management Agency (PMA) for the Scheme.

05

Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Pharmaceuticals

- ▶ The PLI Scheme for Pharmaceuticals is a flagship scheme of the Government of India and launched by the Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), to create global champions out of India.
- ▶ SIDBI is the Project Management Agency (PMA) for the Scheme.
- ▶ With a scheme outlay of ₹15,000 crore, 278 applications were received under the Scheme.
- ▶ 55 applicants, including 20 MSMEs, were selected for receiving incentives under the Scheme.

06

Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)

- ▶ ₹15,000 crore fund to incentivise investments to establish Dairy Processing & value addition infrastructure, Meat Processing & value addition infrastructure and Animal Feed Plants.
- ▶ The Bank is implementing partner for the scheme and has collaborated with Department of Animal Husbandry & Dairying, MoFAHD, GoI.
- ▶ A total of 2,400 applications were received under the Scheme. An amount of ₹2,500.00 crore was sanctioned by scheduled banks and ministry had approved interest subvention of ₹31.82 crore under the scheme.

07

National Livestock Mission (NLM)

- ▶ The scheme is managed by Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. To enhance the effectiveness of the scheme, better monitoring, submission of online applications by the applicants, processing of applications in a transparent manner and an overall customised workflow of applications, DAHD had engaged SIDBI as an implementing partner for the scheme.
- ▶ DAHD had also nominated SIDBI as Fund Channelising Agency for the management of subsidy.
- ▶ SIDBI created a customised workflow on Udyamimitra Portal for submission of online application form and submission of required documents by applicants directly on the portal.
- ▶ More than 7,000 applications have been received and capital subsidy of ₹19.00 crore approved by ministry.

08
SIDBI AS NODAL AGENCY FOR GOVERNMENT OF INDIA SCHEMES

- ▶ The Bank has been assigned the nodal agency role by the Government of India for implementing various Government subsidy schemes, namely, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), Special Credit Linked Subsidy Scheme (SCLCSS), Technology Up-gradation Fund Scheme for Textile Industry (TUFS), Integrated Development of Leather Sector Scheme (IDLSS), Scheme of Technology Up-gradation/Setting up/Modernisation/Expansion of Food Processing Industries (FPTUFS) and Technology and Quality Upgradation (TEQUP) Scheme. Cumulatively SIDBI facilitated release of subsidy of ₹4,453.80 crore to 54,721 MSMEs.

09
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS)

- ▶ The SC/ST MSEs will be provided subsidy of 25% under SCLCSS guidelines and it would be released from National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) under NSIC. Since the launch of the Scheme, capital subsidy claims aggregating ₹45.06 crore to 369 units have been released through SIDBI. During FY 2022, claims aggregating ₹20.41 crore to 158 units have been released. The scheme is applicable from the date of sanction till 31/03/2026. The total plan outlay of NSSH for the period from FY 2021-22 to FY 2025-26 would be ₹438 crore.

10
Balance Sheet and Statement of Accounts

- ▶ The accounts of the Bank for FY 2021-22 were audited by M/s BORKAR & MUZUMDAR, Chartered Accountants, Mumbai, who were appointed under the terms of Section 30(1) of SIDBI Act 1989 (as amended) by Board of Directors on October 09, 2020 as authorised by Shareholders at the Annual General Meeting held on July 02, 2020 for carrying out the statutory audit.
- ▶ The reports for the Auditors are given in Part-II of the Annual Report.
- ▶ The audited Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of Small Industries Development Bank of India, for the financial year 2021-22 are given in **Appendix - I**. The consolidated Balance Sheet along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI with its subsidiaries viz. SIDBI Venture Capital Ltd. (SVCL), SIDBI Trustee Company Ltd. (STCL), Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA) and associates viz., Acuité Ratings & Research Limited, India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC), Receivable Exchange of India Ltd. (RXIL) and others are given in **Appendix - II**.



Rating of Debt Instruments Raised by SIDBI

The short-term and long-term debt instruments of SIDBI are rated by CARE Edge Ratings, ICRA Limited, India Ratings & Research and CRISIL Rating.

During
FY 2021-22

CARE Limited has Reaffirmed Rating of:

- ▶ CARE AAA; Stable - Triple A; Outlook: Stable [for MSE/ RIDF Deposits of ₹1,50,000 crore and Unsecured Bonds of ₹21,861.50 crore].
- ▶ CARE AAA (FD); Stable - Triple A; Fixed Deposits; Outlook: Stable [for Fixed Deposits of ₹10,000 crore].
- ▶ CARE AAA; Stable - Triple A; Outlook: Stable] / CARE A1+ [A One Plus] [for Certificate of Deposit/ Commercial Paper program of ₹46,000 crore].
- ▶ CARE AAA / CARE A1+; Stable - Triple A / A One Plus; Outlook: Stable [for Bank Loans (Long Term / Short Term) of ₹30,000 crore].

ICRA Ltd. has reaffirmed rating of ICRA AAA/ Stable for the Unsecured Bonds Issuance Programme aggregating ₹20,000 crore.

India Ratings & Research reaffirmed rating of IND A1+ for the Commercial Paper Programme of ₹21,600 crore.





Small Industries Development Bank of India

www.sidbi.in



@sidbiofficial



SidbiOfficial



SidbiOfficial

Concept, Content & Design

WYATTPrism
COMMUNICATIONS

(info@wyatt.co.in)

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सिडबी

आज़ादी के 75 साल उद्यम का अमृत काल

वार्षिक प्रतिवेदन | 2021-22
(भाग-II)

अंदर

परिशिष्ट-I

पृष्ठ 01-42

परिशिष्ट-II

पृष्ठ 43-88

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ
लेखापरीक्षित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ और हानि लेखे, समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण एवं एकल वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियाँ शामिल हैं, इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गयी है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14 (1), और भारत में आमतौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

मंतव्य का आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार संपन्न की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषयों का विवरण

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)

- (i) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण सहित प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ('भा रि बैंक') ने बैंकों के अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड' निर्धारित किए हैं, जिसमें कोविड-19 नियामक पैकेज -आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में जारी परिपत्र भी शामिल हैं।

संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरण के बारे में हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

हम 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के परिचालन और आस्ति गुणवत्ता पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची XVI के नोट संख्या 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि उसमें कहा गया है, निरंतर अनिश्चितताओं को देखते हुए, बैंक के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर महामारी के प्रभाव का असर और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगी।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंड) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के पहचान (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्गठित अग्रिमों सहित) के लिए उचित तंत्र की स्थापना हो और बैंक से अपेक्षित है कि विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा की पहचान कर उसे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी के निर्णय को लागू करे।

महत्वपूर्ण निर्णय और एनपीए की पहचान के लिए प्राक्कलन और प्रावधान तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान की पूर्णता और समय;
- ऋण जोखिम, कितने वर्ष से है और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति की वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;
- अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन।

अग्रिमों के वर्गीकरण, अनर्जक आस्ति की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का निर्माण (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्गठित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान:

- बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता है;
- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले वर्ष के दौरान आईआरएसीपी मानदंडों में परिवर्तन के साथ संरेखित होने की आवश्यकता
- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;

हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में सुनिश्चित किया है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर हासिल खातों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना।

- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

(क) एप्लिकेशन सिस्टम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण पर विचार किया जहां अग्रिमों को अभिलेखित किया जाता है।

(ख) दबाव की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों पर विशेष उल्लेख किये गए खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।

(ग) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण की समीक्षा, आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करना

(घ) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेतक थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में चूक की घटना हुई थी।

(ङ) बैंक की नीतियाँ और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना।

(च) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना।

(छ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच।

पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खातों के महत्व सहित कारकों के आधार पर यथा आस्ति वर्गीकरण तिथियों का, अप्राप्त ब्याज का व्यूत्रक्रमण, उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण का नमूना आधार पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख आगत कारकों पर विचार करने के बाद अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और उससे प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणाम की तुलना की।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय
हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
(ii) निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)

निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड, उदयम पूंजी निधियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र और निर्देश अन्य बातों के साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का अनिर्धारण और अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधानीकरण को समाहित करते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों के प्रत्येक संवर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई पर उद्धृत दरों से, एनएसई, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से आंकड़ें / सूचना का संग्रह भी शामिल है।

हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बुक के आधार पर हासित मूल्यांकन हेतु प्रबंधन का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन के निर्णय की वजह से निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाएं परिपत्रों/ निर्देशों में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित प्रावधानीकरण/ निवेश के मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से -

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्यूहकरण और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/ मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;
- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;
- चालू निवेश के चयनित नमूने लेकर हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;
- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप रखे जाने वाले प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और अनर्जक निवेश के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') प्रणाली और नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
- बैंक के पास उचित समयावधि में पहचाने गए एप्लिकेशन सिस्टम का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर लेखापरीक्षण की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समयावधि में की जाती है।
- हमने बाह्य सलाहकारों द्वारा किए गए एप्लिकेशन सिस्टम ऑडिट और शाखाओं में किए गए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की समीक्षा की है और उन पर भरोसा किया है।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

(iv) प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12)

प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई।

आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर-मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है। बैंक का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों, उनका अपना निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम, बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमांकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित डिस्काउंट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।

हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण /प्रक्रियाओं में यह शामिल था:

- मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना;
- विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- बैंक के कर-सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी /कर-सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषयवस्तु के गुणावगुणों की योग्यता का मूल्यांकन करना;
- बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन; तथा
- आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देनदारियों को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।
- हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बेंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था।
- हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन, योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है।
- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देनदारियों से संबंधित खुलासे का सत्यापन।

एकल वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है या नहीं। अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम इस मामले को अभिशासन के प्रभारी तक पहुँचाएँ।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य देते हैं और लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और

विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैंक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखापरीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।
- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो किन्तु प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो।
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणियों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम एकल वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा- प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वो प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक उन विषयों को नहीं उठाते जब तक कि कानून या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबाधित नहीं करता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य विषय

- (i) इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा दौरा किए गए / लेखापरीक्षित 26 शाखाओं के प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2022 को अग्रिमों वार्षिक प्रतिवेदन का 95.50%, जमाओं का 99.22% और उधार का 100% शामिल हैं और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 91.95% तथा जमा पर ब्याज व्यय का 98.28% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान,

हमने बैंक की शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम सूचित करते हैं कि:

- (क) हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (ख) हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधितः उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।
- (ग) बैंक शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

(घ) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जाँच से ऐसा प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।;

(ङ) इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त एकल तुलन पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, एकल नकद प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप है।

(च) हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते बोरकर एवं मुजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या - 101569W

दर्शित दोषी
साझेदार

स्थान: मुंबई
तिथि: 17 मई, 2022

सदस्यता संख्या- 133755
यूडीआईएन: 21133755AAAABW9847

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
पूंजी और देयताएं	अनुसूचियां		
पूंजी	I	5,68,54,11,690	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, आधिक्य और निधिया	II	2,40,14,53,18,104	2,07,56,28,92,633
जमा	III	14,08,78,42,74,899	12,44,12,11,71,085
उधार	IV	7,57,12,43,67,199	3,90,90,19,08,226
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	62,04,01,28,691	75,31,92,47,651
आस्थगित कर देयता		74,55,585	-
कुल		24,73,78,69,56,168	19,23,22,44,39,905
आस्तियां			
नकद एवं बैंक शेष	VI	1,79,18,31,07,719	1,38,07,95,68,421
निवेश	VII	2,39,51,55,92,224	1,91,53,46,78,481
ऋण एवं अग्रिम	VIII	20,22,51,78,47,539	15,62,32,79,99,814
अचल आस्तियां	IX	2,93,12,40,397	2,77,32,26,435
अन्य आस्तियां	X	29,63,91,68,289	28,50,89,66,754
कुल		24,73,78,69,56,168	19,23,22,44,39,905
आकस्मिक देयताएँ	XI	53,37,90,27,297	59,50,61,36,098
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ	XVI		
उपर्युक्त अनसुचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

लाभ एवं हानि लेखा

यथा मार्च 31, 2022 को

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
आय	अनुसूचियाँ		
ब्याज एवं छूट	XII	87,14,12,26,980	1,02,21,35,67,271
अन्य आय	XIII	4,25,05,99,071	9,44,26,93,251
योग		91,39,18,26,051	1,11,65,62,60,522
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		57,01,62,91,566	65,42,87,64,888
परिचालन व्यय	XIV	6,97,72,15,759	5,60,00,42,556
प्रावधान एवं आकस्मिक		3,51,81,16,045	9,15,23,84,536
योग		67,51,16,23,370	80,18,11,91,980
कर पूर्व लाभ		23,88,02,02,681	31,47,50,68,542
आयकर के लिए प्रावधान		4,11,57,81,000	7,68,66,09,000
आस्थगित कर समायोजन (आस्ति / देयता)		18,65,33,000	(19,43,10,130)
कर पश्चात लाभ		19,57,78,88,681	23,98,27,69,672
लाभ अग्रणीत		53,97,00,680	96,17,75,070
कुल लाभ / (हानि)		20,11,75,89,361	24,94,45,44,742
विनियोजन			
सामान्य आरक्षितियों में अंतरण		18,00,41,43,423	22,50,00,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		70,00,00,000	80,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		10,96,07,912	-
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		10,56,54,000	4,10,00,000
शेयरों पर लाभांश		79,81,84,026	1,06,38,44,062
लाभांश पर कर		-	-
अग्रणीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		40,00,00,000	53,97,00,680
योग		20,11,75,89,361	24,94,45,44,742
मूल / विलयित प्रति शेयर अर्जन		36.79	45.09
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियां	XVI		
उक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूँजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूँजी	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
(क) प्राधिकृत पूँजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- इक्विटी शेयर पूँजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 इक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूँजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूँजी	5,68,54,11,690	5,31,92,20,310
- इक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 इक्विटी शेयर)	5,68,54,11,690	5,31,92,20,310
- अधिमानी शेयर पूँजी	-	-
योग	5,68,54,11,690	5,31,92,20,310

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) आरक्षित निधि		
i) सामान्य आरक्षित निधि		
- अथशेष	1,69,23,51,37,200	1,46,73,51,37,200
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,00,41,43,423	22,50,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	1,87,23,92,80,623	1,69,23,51,37,200
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथशेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,86,18,08,620	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- अथशेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	-	-
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियाँ		
- अथशेष	17,02,00,00,000	16,22,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथशेष	1,14,93,45,044	1,14,93,45,044
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	10,96,07,912	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	1,25,89,52,956	1,14,93,45,044
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	40,00,00,000	53,97,00,680
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईन्विटी निधि		
- अथशेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथशेष	28,17,87,187	25,22,07,485
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	10,56,54,000	4,10,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	5,90,87,804	1,14,20,298
- अंतिम शेष	32,83,53,383	28,17,87,187
ग) अन्य	-	-
योग	2,40,14,53,18,104	2,07,56,28,92,633

(राशि ₹ में)

अनसूची III: जमा	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) सावधि जमाराशियाँ	86,10,40,72,379	50,04,64,96,085
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	12,74,31,35,25,000	11,26,05,11,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	5,00,00,00,000	10,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	7,93,64,00,000	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	10,43,02,77,520	8,02,35,25,000
ङ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	25,00,00,00,000	50,00,00,00,000
(ख) उप-योग	13,22,68,02,02,520	11,94,07,46,75,000
योग	14,08,78,42,74,899	12,44,12,11,71,085

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	1,44,20,00,00,000	-
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	5,62,06,57,105	20,40,09,88,429
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	1,62,85,00,00,000	1,70,87,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	50,00,00,00,000	38,75,00,00,000
- जमाराशियों के प्रमाणपत्र	1,49,00,00,00,000	42,85,00,00,000
- बैंकों से लिए गए सावधि ऋण	1,68,89,90,51,099	48,14,20,83,006
- सावधि ऋण उधारियाँ	-	-
- अन्य	25,66,91,30,100	4,99,94,82,245
उप-योग (I)	7,06,23,88,38,304	3,26,01,75,53,680
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) के एफडब्ल्यू जर्मनी	5,60,16,04,462	7,92,50,08,344
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	14,92,77,01,680	20,87,89,58,963
(ग) आईएफएडी, रोम	1,05,67,31,387	1,10,10,79,766
(घ) विश्व बैंक	28,29,18,43,248	33,21,79,18,293
(ङ) अन्य	1,00,76,48,118	1,76,13,89,180
उप-योग (II)	50,88,55,28,895	64,88,43,54,546
योग (I & II)	7,57,12,43,67,199	3,90,90,19,08,226

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
उपचित ब्याज	15,72,51,17,292	20,83,21,62,892
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,61,97,08,540	3,26,55,18,260
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	16,01,409	13,50,36,000
सिडबी कर्मचारी के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान	2,85,12,10,104	2,48,86,71,702
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	10,64,84,57,633	11,06,49,47,151
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	79,81,84,026	1,06,38,44,062
निधियाँ यथा आंकाक्षा निधि, स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि,	15,15,42,51,789	12,33,11,61,527
अस्थिर प्रावधान	4,95,67,37,932	10,99,96,00,000
अन्य (प्रावधान सहित)	6,74,74,97,200	11,60,09,43,291
योग	62,04,01,28,691	75,31,92,47,651

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक अधिशेष	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष	7,18,409	6,54,935
2. अन्य बैंकों में अधिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	91,24,22,715	92,06,46,927
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1,75,01,86,87,955	1,34,15,99,19,330
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	1,63,27,034	1,90,00,930
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,23,49,51,606	2,97,93,46,299
योग	1,79,18,31,07,719	1,38,07,95,68,421

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	39,90,00,85,004	36,25,12,72,542
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	31,31,54,82,382	5,24,16,82,049
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	1,98,08,42,613	1,98,08,42,613
4. म्युचुअल फंड	19,99,90,00,050	37,50,81,24,592
5. वाणिज्यिक पत्र	50,04,99,24,399	65,68,39,65,908
6. जमा प्रमाणपत्र	56,46,67,59,624	13,97,08,63,310
7. अन्य	9,00,00,00,000	-
उप-योग (क)	2,08,71,20,94,072	1,60,63,67,51,014
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,84,97,71,142	1,84,97,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	3,82,86,98,845	4,46,46,49,681
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	6,31,40,45,945	6,42,18,48,997
6. अन्य	1,30,04,83,480	65,11,58,907
उप-योग (ख)	30,80,34,98,152	30,89,79,27,467
योग (क+ख)	2,39,51,55,92,224	1,91,53,46,78,481

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	16,68,31,69,50,653	13,16,64,02,14,298
- अल्प वित्त संस्थाएँ	31,17,68,62,498	16,72,32,44,874
- एनबीएफसी	1,79,35,18,01,997	1,12,92,14,25,624
- पुनर्भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (क)	18,78,84,56,15,148	14,46,28,48,84,796
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	1,43,30,55,40,693	1,15,81,08,75,592
- प्राप्य वित्त योजना	3,07,84,956	23,22,39,426
- भुनाए गए बिल	33,59,06,742	-
उप-योग (ख)	1,43,67,22,32,391	1,16,04,31,15,018
योग (क+ख)	20,22,51,78,47,539	15,62,32,79,99,814

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: अचल आस्तियां [मूल्यहास के बाद निवल]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. परिसर	2,89,84,36,991	2,75,92,83,828
2. अन्य	3,28,03,406	1,39,42,607
योग	2,93,12,40,397	2,77,32,26,435

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
उपचित ब्याज	14,76,59,58,673	17,39,56,29,640
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	1,70,86,89,498	78,02,94,395
स्टाफ ऋण	1,79,12,15,676	1,69,52,27,467
व्युत्पन्न आस्तियां	4,29,61,53,456	5,83,74,04,868
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	6,61,38,10,576	1,94,24,53,524
अन्य	46,33,40,410	85,79,56,860
योग	29,63,91,68,289	28,50,89,66,754

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	6,56,25,72,519	5,06,41,82,735
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	31,50,24,390	20,23,30,137
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	6,51,81,80,889	21,81,77,727
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों, वीसीएफ के तहत आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धता इत्यादि के फलस्वरूप	95,64,22,740	17,46,36,734
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए	39,02,68,26,759	53,84,68,08,765
vii) अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	-	-
योग	53,37,90,27,297	59,50,61,36,098

लाभहानि लेखे की अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	74,74,57,32,819	90,55,19,84,990
2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	12,39,54,94,161	11,66,15,82,281
योग	87,14,12,26,980	1,02,21,35,67,271

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	45,49,25,710	35,38,16,367
2. कमीशन एवं दलाली	78,19,049	83,89,829
3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	70,43,74,178	1,25,88,60,175
4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	28,62,08,148	25,39,38,889
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अशोध्य ऋणों से की गई वसूलियां	2,03,12,69,846	1,42,52,18,289
7. प्रावधानों का व्युत्क्रमण/एफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	5,17,85,60,369
8. अन्य	76,60,02,140	96,39,09,333
योग	4,25,05,99,071	9,44,26,93,251

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
कर्मचारियों के लिए किये गए भुगतान और प्रावधान	3,69,97,48,021	3,87,77,13,208
किराया, कर और बिजली	15,78,39,382	14,97,56,156
मुद्रण एवं स्टेशनरी, डाक/ कोरियर एवं टेली एवं बीमा	1,33,07,053	1,23,90,186
विज्ञापन और प्रचार	3,14,36,689	2,84,12,385
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / ऋण-परिशोधन	36,18,71,759	24,03,93,728
निदेशक शुल्क, परिलब्धियाँ एवं व्यय	42,12,767	36,23,666
लेखा परीक्षक शुल्क	44,59,176	28,66,387
विधि प्रभार	2,31,71,360	1,41,97,202
मरम्मत और रखरखाव	12,04,79,601	11,20,92,010
निर्गम व्यय	1,21,01,863	42,82,499
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंध शुल्क आदि	8,09,48,867	1,49,78,690
अनुपलब्ध निविष्टि कर	10,30,52,881	9,30,45,281
अन्य व्यय	2,36,45,86,340	1,04,62,91,158
योग	6,97,72,15,759	5,60,00,42,556

अनुसूची XV - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनटी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान और भविष्य की अवधि में भावी रूप से किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण:

बैंक को जो भी संभावित आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

- दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।
- लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार दर्शायी गई है।
- बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।
- मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात आय माना गया है।

(vi) उद्यम पूंजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट/ शेयरों के मोचन को एच टी एम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना जाता।

(vii) अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

- अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज,
- मूलधन,
- लागत व प्रभार
- ब्याज एवं
- दंडात्मक ब्याज

(viii) ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(ix) पहले वर्षों में बड़े खाते में डाले गए ऋणों के संदर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

(x) किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, लागू करों के समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

(xi) सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

(xii) बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

(xiii) उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

(xiv) एलसी/बीजी पर कमीशन को अवधि के दौरान उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है।

ख) व्यय:

- विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बड़े को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में संवर्गीकरण कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
ग) शेयर,
घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,
ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और
च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत सहायक कंपनियों में निवेश प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है।

इस श्रेणी के तहत निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभहानि लेखा में हिसाब में लिया गया है।

व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी

वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

- (ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- (iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।
- (iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उद्धृत नहीं हैं/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।
- (v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।
- (vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।
- (vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।
- (viii) निवेशों की लागत भारत औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।
- (ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।
- (x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि- ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।
- (xi) बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (xii) भारतीय रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।
- (xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया है।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन खंडित मूल्य पर किया गया है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं, या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1/- प्रति कंपनी का मूल्य रखा गया।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप किया गया है:

- बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/ खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
- विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋणव्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
- व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।
- मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, वे फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर पुनर्मूल्यांकित किये जाते हैं।

5. व्युत्पन्नियां

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण एवं अग्रिम:

- ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
- तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक अग्रिमों व पुनर्संचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।
- मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. करधान

- कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।
- आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।
- आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।
- जो प्रावधान न किए गए विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, उन्हें आकस्मिक देयता में लिया गया है।

8. प्रतिभूतिकरण:

- बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतिकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।
- बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii. बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

iv. बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

i. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

ii. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i. भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

ii. गैरच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

iii. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित कर दर्ज किए जाते हैं।

iv. नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर

2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

v. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पाविधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बढ़ाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

i) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़ाता है।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान निम्नवत किया गया है, चाहे पूंजीकरण की तारीख जो भी हो:

क) फर्नीचर और फिक्सचर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

ग) भवन-मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यहासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

ड) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यहास नहीं होता।

v) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस-29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो

निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टे के अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि लेखे में व्यय/आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य

कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

- क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा
- ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्यः

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि व म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

1. इंड ए एस का कार्यान्वयन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं। तथापि, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड-एएस के रूप में वित्तीय विवरण पहले की तरह प्रस्तुत करना जारी रखेगा जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 मई, 2019 के पत्र में सूचित किया गया है। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों को इंड-एएस वित्तीय विवरणियों में रूपांतरित करने के लिए एक्सेल-शीट का उपयोग कर रहा है। बैंक ने उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2021 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय विवरणों के रूप में आईजीएएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड-एएस पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2.1 लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹ 18,65,33,000 की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹ 19,43,10,130 थी)।

2.2 31 मार्च, 2022 को आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) के अलग-अलग आँकड़ें:

समय-अंतर	(राशि ₹ में)	
	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)
क) मूल्यहास के लिए प्रावधान	2,79,20,651	63,32,997
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(3,87,65,37,167)	(3,71,54,81,342)
ग) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	45,75,76,825	46,46,70,676
घ) भारत सरकार बांडों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का परिशोधन	-	(1,06,49,427)
ङ) खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	30,66,284	54,95,443
च) अग्रणीत दीर्घकालीन पूंजी हानि	-	-
छ) गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	-	-
ज) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,68,00,01,893	2,78,48,23,976
झ) अन्य	70,05,16,219	64,38,85,092
निवल आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	(74,55,295)	17,90,77,415

3 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है

(राशि ₹ में)

क्र.सं. विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
(i) वर्तमान आयकर प्रावधान	4,11,57,81,000	7,68,66,09,000
(ii) पिछले वर्षों का कम/(अधिक) आयकर प्रावधान	-	-

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है

4 अनुसूची XI में उल्लेख की गई आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताओं में ₹ 6,56,25,72,519 (पिछले वर्ष ₹ 5,06,41,82,735) के "बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" शामिल है। ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न कानूनी मामलों और आयकर और अन्य वैधानिक अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित व्यवसाय के सामान्य अवधि में बैंक के विरुद्ध दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

5 अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) अप्रतिभूत बांड	1,62,85,00,00,000	1,70,87,50,00,000

6 अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बड़े खाते में नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल है

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	-	4,23,13,364
ख) उधारियों पर अग्रिम में जमा किया गया व्याज	59,83,56,164	-
ग) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र	5,65,04,43,605	1,64,39,75,891
घ) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	35,82,12,235	24,13,15,527
ड.) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	67,98,571	1,48,48,742
योग	6,61,38,10,575	1,94,24,53,524

7 ब्याज व वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) उधारियों पर ब्याज	12,20,11,85,354	15,86,39,50,186
ख) जमा पर ब्याज	41,39,59,35,526	45,38,88,60,026
ग) वित्तीय प्रभार	3,41,91,70,686	4,17,59,54,676
योग	57,01,62,91,566	65,42,87,64,888

(राशि ₹ में)

	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
गैर प्रावधान किए गए पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर)	1,89,87,686	75,66,907

9 अनुसूची IX में परिसर के अंतर्गत परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹ 11,06,68,896 (गत वर्ष ₹ 11,06,68,896) का अग्रिम तथा निर्माणाधीन पूंजी कार्य के प्रति ₹ 1,10,66,907 (गत वर्ष ₹ 75,66,907) की राशि शामिल है। परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹ 11,06,68,896 का अग्रिम कार्यालय परिसर की अधिप्राप्ति के लिए अदा किया गया था, जिससे संबंधित प्रस्ताव बाद में परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण निरस्त कर दिया गया। बैंक संबंधित एजेंसी से उक्त राशि की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है। मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है, तथापि, वित्त वर्ष 2020 में इस राशि के प्रति ₹ 11,06,68,896 के संपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

- 10 जाइका iv ऋण के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 87,21,77,772 (पिछले वर्ष ₹ 1,30,82,66,654) के उधार को तुलन पत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रूप मूल्य में अग्रणीत किया गया है क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी को मूलधन चुकौती की देयता रूप में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई में देय ब्याज (रूप में मुद्रा विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2022 को शेष राशि ₹ 55,46,12,637 (पिछले वर्ष ₹ 1,05,25,55,521) है।
- 11 दीर्घकालिक और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्प वित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था की संविदा की, इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण व्यवस्था के तहत, भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रूप में ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, हालांकि भारत सरकार ने सिडबी को रुपये में निधि जारी की है, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने के लिए एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से परिलक्षित हो। तदनुसार, उक्त ऋण व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक 45.31 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 474.85 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष एसडीआर 46.95 मिलियन (₹ 486.47 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा निहित देयता का बचाव परस्पर लेन देन की मुद्रा में ब्याज दर की अदला बदली के माध्यम से किया गया है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियों' के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
- 12 (क) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹ 310 करोड़ की आकांक्षा निधि (एस्पेयर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप/ नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2022 तक निधि में शेष राशि ₹ 2,73,39,83,039 (गत वर्ष ₹ 2,72,83,53,833) रही।
- ख) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में इक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹ 10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹ 14,61,29,44,000 सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2022 तक निधि में शेष राशि ₹ 7,13,38,30,407 (पिछले वर्ष ₹ 1,69,55,48,687) रही।
- ग) उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्थापना और समर्थन के लिए ₹ 1,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष स्थापित करेगी। निधि, निधियों की निधि के रूप में होगा। इस मॉडल में, निधि सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं की जाएगी, बल्कि इसे सेबी द्वारा अनुमोदित निधि में प्रतिभागिता करनी होगी। निधियों का प्रबंध पेशेवर रूप से सिडबी, निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 15 करोड़ की राशि जारी की है। ये निवेश (उ.प्र. स्टार्टअप निधि में से) सिडबी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखे जाएंगे। उ.प्र. स्टार्टअप निधि का निधि शेष, निवेश को घटाकर तुलनपत्र में "अन्य देनदारियों" के तहत समूहीकृत किया गया है और सभी लाभ/हानि/आय/व्यय निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ₹ 17,72,80,628 (पिछले वर्ष ₹ 13,55,51,948) है।
- 13 बैंक ने कुल मिलाकर ₹ 40,41,63,00,000 के अंकित मूल्य (बही मूल्य ₹ 39,90,00,15,423) [पिछले साल ₹ 30,32,82,00,000 (बही मूल्य ₹ 30,00,18,54,173)] की सरकारी प्रतिभूतियां तृतीय पक्ष रेपो संव्यवहार एवं निपटान (टीआरईपीएस) के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बंधक रखी है।
- 14 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2022 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹ 1,05,67,31,387 (गत वर्ष ₹ 1,10,10,79,766) है।
- 15 भारत सरकार के पास धारित ₹ 14,22,80,00,000 के सिडबी के टियर-1 पूंजी बांड को 30 मार्च, 2022 तक सिडबी की इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया है। तदनुसार, 3,66,19,138 इक्विटी शेयर भारत सरकार को ₹ 388.54 प्रति शेयर के बुक वैल्यू पर जारी किए गए थे। परिणामस्वरूप, बैंक की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 5,68,54,11,690 हो गई। अंकित मूल्य और बुक वैल्यू के बीच का अंतर कुल ₹ 13,86,18,08,620 शेयर प्रीमियम (आरक्षित) खाते में जमा किया गया है।

16 कर्मचारी लाभ

"कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

(क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की हैं

विवरण	(राशि ₹ में)	
	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	7,68,83,415	7,90,27,233
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	3,17,67,054	2,69,44,564

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के जरिये किया जाता है।

	(राशि ₹ में)			
	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021
1. धारणाएँ				
भुनाई दर	7.25%	6.85%	6.90%	6.35%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.25%	6.85%	6.90%	6.35%
वेतन बढ़ोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हित दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका				
वर्ष के आरंभ में देयता	553.50	529.88	106.70	99.64
ब्याज लागत	22.69	30.78	6.56	6.54
वर्तमान सेवा लागत	14.97	14.92	5.97	5.68
पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण आगत	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	(32.86)	(6.61)	(9.75)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(14.23)	10.78	(3.67)	4.59
वर्ष के अंत में देयता	576.93	553.50	108.95	106.70
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएँ				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	501.50	468.69	105.73	108.15
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	34.35	33.96	6.69	7.24
अंशदान	0.00	32.86	0.33	0.22
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	(32.86)	(6.61)	(9.75)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	53.76	(1.15)	(0.22)	(0.13)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73
4. बीमांकिक लाभ (हानि) निर्धारण की तालिका				
अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि	(14.23)	10.78	(3.67)	4.59
अवधि की आस्तियों के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	(53.76)	1.15	0.22	0.13
आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि)	(67.99)	11.93	(3.45)	4.72
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	34.35	33.96	6.69	7.24
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	53.76	(1.15)	(0.22)	(0.13)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	88.11	32.81	6.47	7.11

(राशि ₹ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021
6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(576.93)	(553.50)	(108.95)	(106.70)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73
अंतर	12.68	(52.00)	(3.03)	(0.97)
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	12.68	(52.00)	(3.03)	(0.97)
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
चालू सेवा लागत	14.97	14.92	5.97	5.68
ब्याज लागत	22.69	30.78	6.56	6.54
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(34.35)	(33.96)	(6.69)	(7.24)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) /हानि	(67.99)	11.93	(3.45)	4.72
लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	(64.68)	23.67	2.39	9.70
8. तुलनपत्र समाधान				
अथशेष निवल देयता	52.00	61.19	0.97	(8.51)
यथोक्त व्यय	(64.68)	23.67	2.39	9.70
नियोक्ता का अंशदान	0.00	(32.86)	(0.33)	(0.22)
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	(12.68)	52.00	3.03	0.97
9. अन्य विवरण				
कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखा जाता है।				
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इन्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	589.61	501.50	105.92	105.73
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	589.61	501.50	105.92	105.73

11. अनुभव समायोजन

	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2018	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2018
योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	66.81	0.65	(0.43)	3.28	(19.71)	10.18
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	(53.76)	(1.15)	25.17	(2.32)	0.32	0.22	0.13	(0.09)	(0.35)	(0.10)

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियों को लाभ-हानि खाते में निम्नांकित रूप से प्रभारित किया गया है:

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	12.97	25.26
2	रुग्ण अवकाश	0.47	0.34
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.30	(0.29)
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	9.84	4.16

17 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20):

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनूकृत (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर, मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके किया जाता है।

तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा तुनूकृत किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	19,57,78,88,681	23,98,27,69,672
प्रति शेयर ₹ 10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,21,22,684	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन (₹)	36.79	45.09

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई तुनूकृत संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं

- 18** लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) देयता के रूप में अनुसूची V में गिना जाएगा
- 19** प्रबंधन की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।
- 20** लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से अपेक्षित है।

विवरण	(राशि ₹ में)	
	वि व 2022 बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन ₹	वि व 2021 बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन ₹
आरंभ शेष	1,07,63,00,000	76,00,00,000
जोड़ें:		
बकाया वेतन	31,50,00,000	31,63,00,000
प्रोत्साहन		
उपयोग		
पुनरांकन		
अंतिम शेष	1,39,13,00,000	1,07,63,00,000

- 21** बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2022 तक ₹ 1.65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है।
- 22** निरंतर पालन की जा रही प्रथा के अनुसार, वेंचर पूंजी निधियों के मोचन का लेखांकन वेंचर पूंजी निधियों से प्राप्त वितरण-पत्र के अनुसार किया जाता है, चाहे अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोजन नीति कुछ भी रही हो। वेंचर पूंजी निधियों के यूनिटों /शेयरों में निवेश पुष्टि /समाधान के अध्यक्षीन होता है।
- 23 निवेशकों की शिकायतें:**
- यथा 1 अप्रैल 2021 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "21" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "20" शिकायतों (01 अप्रैल, 2021 को लंबित शिकायत सहित) का निपटारा किया गया। तदनुसार "01" शिकायत 31 मार्च, 2022 तक निपटान के लिए लंबित थी, जिसका निपटारा 08 अप्रैल, 2022 को कर दिया गया था।

24 अनर्जक आस्तियों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

जैसा कि 18 अप्रैल, 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 और 1 अप्रैल, 2019 के डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 के तहत अपेक्षित है। 'आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन', वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई द्वारा देखे गए 'सकल अनर्जक आस्ति और प्रावधान' में कोई अंतर नहीं है।

25 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना:

11 फरवरी, 2020 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्संरचना किया गया था। आरबीआई ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर 06 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के परिणाम के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा आरबीआई ने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कोविड -19 संबंधित तनाव का समाधान से संबन्धित संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 को सूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्रचित एमएसएमई खाते इस प्रकार हैं:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1189	844.51

26 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण रूपरेखा:

- दबावग्रस्त आस्ति के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के अनुसार बैंक ने जिन मामलों में समाधान योजना (आरपी) लागू किया है, वह शून्य है। इसके अलावा पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों का "शून्य" अधिग्रहण होता है, जिसे अन्यथा पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर नियामक उच्चतम सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
- कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, जहां बैंक ने समाधान योजना लागू की है, 31 मार्च 2022 को समाप्त छमाही के लिए उक्त परिपत्र के प्रारूप-ए में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण, इस प्रकार है:

उधारकर्ता का स्वरूप	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (₹)	(₹) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान अनर्जक आस्ति में फिसल गया	(₹) छमाही के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	(₹) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि \$	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति*	32.81	---	0	(0.18)	32.99
किन एमएसएमई इकाइयों में से है	32.81	---	0	(0.18)	32.99
अन्य	---	---	---	---	---
योग	32.81	---	0	(0.18)	32.99

* सितंबर 30, 2021 को बाद में संसाधित किए गए अनुरोधों के संबंध में किया गया पुनर्संरचना शामिल है
\$ बकाया राशि में निवल संचलन का प्रतिनिधित्व करता है

- उधारकर्ता खातों की संख्या जहां आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 संकल्प फ्रेमवर्क पर - 2.0: के अनुसार जहां समाधान योजना लागू की गई है, वहाँ व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान शून्य है। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया था जो संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए थे।

27 कोविड19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा।

28 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर ₹ 150.11 करोड़ (गतवर्ष ₹ 174 करोड़) के अतिरिक्त मानक संपत्ति प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें इसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था।

- 29** 24 सितंबर, 2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर आरबीआई मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
- बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से कोई ऐसा ऋण प्राप्त नहीं किया है जिसमें चूक हो।
 - बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को/अनुमत अंतरितियों को/अन्य अंतरितियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
 - बैंक ने कोई दबावग्रस्त ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी ऋण जो चूक नहीं है/विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में स्थानांतरित किया है।
 - बैंक ने (एआरसी) को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश नहीं किया है।
- 30** आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निर्देश, 2021, की बकाया राशि एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।
- 31** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसआईडीएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।
- 32** पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो और पुनर्समूहित किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1. पूंजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार)

		(₹ करोड़)	
क्र.सं.	विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
i)	सामान्य इक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	22,621.82	21,021.12
iv)	टियर 2 पूंजी	15.41	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	22,637.23	21,021.12
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	93,239.24	76,473.15
vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	24.26%	27.49%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	24.28%	27.49%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	15.40
xi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) सतत ऋण पत्र	-	-
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ग) शोधय गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	घ) शोधय संचयी अधिमान शेयर	-	-

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अतः आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है।

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

		(₹ करोड़)	
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21	
मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	1,064.85	1,106.49	

(ख) चल प्रावधान

		(₹ करोड़)	
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21	
चल प्रावधान खाते में अथशेष	1,099.96	1,099.96	
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00	
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	604.29	0.00	
चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	495.67	1,099.96	

* भा. रि. बैंक के 05 मई, 2021 के परिपत्र के संदर्भ में और चल प्रावधान पर बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्ति प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	0.07%	0.12%
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	282.31	1,040.84
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,030.59	135.11
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	1,095.28	893.64
(घ) अंतिम शेष	217.62	282.31
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति *		
(क) अथशेष	185.25	658.64
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5.90	(354.78)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	59.05	118.61
(घ) अंतिम शेष	132.10	185.25
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	97.05	382.19
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,024.70	489.89
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बड़े खाते /पुनरांकन	1,036.23	775.03
(घ) अंतिम शेष	85.52	97.05

* यदि चल प्रावधान की राशि को उसी के प्रति समायोजित किया जाता है, तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगा।

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक निवेशों (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	344.62	343.62
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5.54	1.00
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
(घ) अंतिम शेष	350.16	344.62
(iii) निवल अनर्जक निवेशों की प्रगति		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
(घ) अंतिम शेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	344.62	343.62
(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	5.54	1.00
(ग) बेशी प्रावधानों को बड़े खाते में डालना /पुनरांकन	0.00	0.00
(घ) अंतिम शेष	350.16	344.62

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश)	0.06%	0.11%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	626.93	1,384.46
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,036.14	136.11
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	1,095.28	893.64
(घ) अंतिम शेष	567.79	626.93
(iii) निवल अनर्जक निवेशों की प्रगति		
(क) अथशेष	185.25	658.64
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5.90	(354.78)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	59.05	118.61
(घ) अंतिम शेष	132.10	185.25
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	441.68	725.82
(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1,030.24	490.89
(ग) बेशी प्रावधानों को बड़े खाते में डालना /पुनरांकन	1,036.23	775.03
(घ) अंतिम शेष	435.69	441.68

(घ) पुनर्संचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. पुनर्संचित प्रकार →	अन्य						कुल				
	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	योग
आस्ति वर्गीकरण →											
विवरण ↓											
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	11	9	11	31	11	9	11	-	31
		बकाया राशि	52.45	22.35	76.58	151.38	52.45	22.35	76.58	-	151.38
		उस पर किए गए प्रावधान	0.01	1.10	0.53	1.64	0.01	1.10	0.53	-	1.64
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	1	2	-	3	1	2	-	-	3
		बकाया राशि	3.30	6.36	-	9.66	3.30	6.36	-	-	9.66
		उस पर किए गए प्रावधान	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	6	(5)	(1)	-	6	(5)	(1)	-	-
		बकाया राशि	24.92	(12.87)	(12.05)	-	24.92	(12.87)	(12.05)	-	-
		उस पर किए गए प्रावधान	1.03	(0.97)	(0.06)	-	1.03	(0.97)	(0.06)	-	-
4	पुनर्संचित खाते, जिन पर वि व के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिये उन्हें अगले वि व के आरम्भ में पुनर्संचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
		बकाया राशि	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)
		उस पर किए गए प्रावधान	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
5	वि व के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	(3)	3	-	-	(3)	3	-	-
		बकाया राशि	-	(4.53)	4.53	-	-	(4.53)	4.53	-	-
		उस पर किए गए प्रावधान	-	(0.01)	0.01	-	-	(0.01)	0.01	-	-
6	वि व के दौरान पुनर्संचित खातों का बड़े खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	(1)	(1)	(3)	(5)	(1)	(1)	(3)	-	(5)
		बकाया राशि	(1.79)	(4.95)	(36.38)	(43.12)	(1.79)	(4.95)	(36.38)	-	(43.12)
		उस पर किए गए प्रावधान	(0.85)	(0.12)	(0.43)	(1.40)	(0.85)	(0.12)	(0.43)	-	(1.40)
7	31 मार्च को समाप्त वि व को पुनर्संचित खाते (अंतिम संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	14	2	10	26	14	2	10	-	26
		बकाया राशि	69.95	6.36	32.68	108.99	69.95	6.36	32.68	-	108.99
		उस पर किए गए प्रावधान	0.18	0.02	0.05	0.25	0.18	0.02	0.05	-	0.25

* मानक पुनर्संचित अगिमें को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

नोट: क्रम संख्या 6 के आंकड़ों में मौजूदा पुनर्संचित खातों के संबंध में 2.20 करोड़ रुपये की कमी/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि और (0.84 करोड़ रुपये) का प्रावधान और 4.21 करोड़ रुपये की राशि के 3 उधारकर्ताओं को बंद करना और 0.01 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

(ड) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
01 अप्रैल तक सकल अनर्जक आस्तियाँ	282.31	1,040.84
वर्ष के दौरान परिवर्धन (ताजा अनर्जक आस्ति)	1,030.59	135.11
उप योग (क)	1,312.90	1,175.95
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	37.62	20.04
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	46.93	112.98
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बड़े खाते में डालना	1,005.06	760.62
(iv) उपर्युक्त (iii) के अधीन उन लोगों के अलावा अन्य बड़े खाते में डालना	5.67	-
उप योग (ख)	1,095.28	893.64
31 मार्च तक सकल एनपीए (क-ख)	217.62	282.31

(च) बड़े खाते में डालना और वसूलियां

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बड़े खाते में अथशेष	2,624.88	2,007.01
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते	1,005.06	760.62
उप योग (क)	3,629.94	2,767.63
घटाएँ: वास्तविक बड़े खाते	37.83	0.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते में से की गई वसूली	202.92	142.75
उप योग (ख)	240.75	142.75
31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	3,389.19	2,624.88

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यहास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	24,306.52	19,517.54
(क) भारत में	24,306.52	19,517.54
(ख) भारत के बाहर	-	-
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	354.96	364.07
(क) भारत में	354.96	364.07
(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	23,951.56	19,153.47
(क) भारत में	23,951.56	19,153.47
(ख) भारत के बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	19.45	4.83
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	14.62
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित /बट्टे खाते में डाले गए*	14.65	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण	-	-
(vi) अंतिम शेष	4.80	19.45

* बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में 10.96 करोड़ रुपये (लागू करों का शुद्ध) विनियोजित किया है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़)		
लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(9.11)	15.62
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	402.58@	434.14
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति /देयता शामिल)	430.23	749.23
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	(41.65)\$	465.48

@ निवल पुनर्संचित प्रावधान

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

\$ मानक आस्ति के लिए प्रावधान शामिल है।

(ञ) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात*	96.22%	93.24%

*पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है

(ट) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	1	5
धोखाधड़ी की राशि	6.67	323.54
वर्ष के अंत में वसूली / बट्टे खाते / अप्राप्त ब्याज में धोखाधड़ी में शामिल राशि	6.47	285.28
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	183.60
उपरोक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान	6.47	285.28
"वर्ष के अंत में"अन्य आरक्षितियों से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि	-	-

4. निवेश संविभाग: संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	3,735.68	348.89	2568.91
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2021 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	1,024.92	59.11	499.95
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	17,677.11	5,132.33	4,054.99
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	31 मार्च, 2022 को राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	निवेश श्रेणी के नीचे स्तर की धारित प्रतिभूतियाँ	बगैर रेटिंग धारित प्रतिभूति	असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,255.53	995.52	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाएं	7,774.07	7,391.18	-	78.55	1,497.08
(iii) बैंक	5,901.64	5,798.13	10.00*	103.50	5,256.10
(iv) निजी कॉर्पोरेट्स	642.88	424.02	-	373.50	364.61
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	2,991.35	2,991.35	-	991.45	2,991.36
(vii) मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	(354.96)	-	-	-	-
योग	19,961.56	19,351.25	10.00	3,298.05	11,860.20

*निवेश की तारीख के बाद रेटिंग डाउनग्रेड के कारण।

(ग) एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण:

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया। उपर्युक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से बाहर विवेशों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के खातिर प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गई आस्तियाँ

(i) बिक्री का ब्यौरा

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही-मूल्य का ब्यौरा

विवरण	(₹ करोड़)	
	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) एआईएफआई द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों की पृष्ठ भूमि वाली	0.00	0.00
योग	0.27	0.27

(ख) खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(i) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
1. बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	शून्य	शून्य
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

6. परिचालन परिणाम

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय %	4.28	5.67
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय %	0.21	0.52
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.35	2.25
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.17	1.74
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ ₹)	1.99	2.37

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजारगत जोखिम

विवरण	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो।	456.70	457.59
(ii) शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,022.18	1,136.61
वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,478.88	1,594.20

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

जोखिम श्रेणी	(₹ करोड़)	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21
	निवल वित्त-पोषित एक्सपोजर	धारित प्रावधान
नगण्य	11,269.51	27.66
कम	998.70	-
मध्यम	1.00	-
उच्च	-	-
बहुत उच्च	-	-
प्रतिबंधित	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-
योग	12,269.21	27.66

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा - एकल उधारकर्ता / समूह उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि

क्र. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	वित्त निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूंजीगत निधियों में % के रूप में एक्सपोजर
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के संबंध में उसका प्रतिशत :

क्र.सं.	विवरण	वि व 2021-22		वि व 2020-21	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	17.51%	191.31%	9.20%	84.16%
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	65.53%	716.11%	61.24%	560.26%
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को पदत्त ऋण एक्सपोजर:

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वि व 2021-22		वि व 2020-21	
	ऋण जोखिम राशि	कुल ऋण आस्तियों का %	ऋण जोखिम राशि	कुल ऋण आस्तियों का %
मेटल उत्पादन ई सी	1072.24	0.53	977.27	0.63
ऑटो अनुषंगी	871.11	0.43	694.96	0.44
प्लास्टिक मोल्डेड सामान	601.17	0.30	537.01	0.34
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	580.84	0.29	515.72	0.33
कपड़ा उत्पाद	821.55	0.41	475.59	0.30

(iv) कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया है, 'शून्य' है।

(v) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बैंक का फेक्ट्रिंग एक्सपोजर नहीं था।

(vi) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियाँ	1,81,350.77	1,33,870.69
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियाँ का उधारियों में प्रतिशत	83.73%	81.88%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,61,623.21	1,17,479.65
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिये गए अग्रिमों का प्रतिशत	79.88%	75.15%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,75,921.47	1,17,855.32
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	68.02%	68.99%

(iii) एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वि व 2021-22			वि व 2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,81,265.82	199.00	0.11%	1,43,365.40	282.31	0.20%
	1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-
	2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
	3 राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
	4 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	31.92	-	-
	5 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,66,831.69	-	-	1,31,632.10	-	-
	6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
	7 सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	8 निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	14,434.13	199.00	1.38%	11,701.38	282.31	2.41%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	3,136.30	18.62	0.59%	1,672.32	-	-
III.	अन्य*	17,935.18	-	-	11,292.14	-	-
	योग (I+II+III)	2,02,337.30	217.62	0.11%	1,56,329.86	282.31	0.18%

* गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को दिये गए ऋण शामिल हैं

8. व्युत्पन्नियाँ

(क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	185.58	215.67
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	2.29	9.73
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	3.25	10.97
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	2.29	9.73

31 मार्च, 2022 तक आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	स्वरूप	क्र.सं.	आनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	बचाव	1	आईएनआर 185,58,43,530.00	6 यू इस डी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम / चल देयताएं

मार्च 31, 2021 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	स्वरूप	क्र.सं.	आनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	बचाव	1	आईएनआर 215,66,65,938.00	6 यू इस डी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम / चल देयताएं

(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियां

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

- (1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में हैं जो एम टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं। बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।
- (2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।
- (3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नियों सौदों से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2021-22		वि व 2020-21	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	3,902.68	185.58	5,384.68	215.67
	(i) बचाव के लिए	3,902.68	185.58	5,384.68	215.67
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	296.35	2.29	360.81	9.73
	(i) आस्ति (+)	296.35	2.29	423.85	9.73
	(ii) देयता (-)	-	-	(63.04)	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	557.49	3.25	635.21	10.96
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	56.18	(0.02)	86.83	(4.75)
	(i) हेजिंग व्युत्पन्नियों पर	56.18	(0.02)	86.83	(4.75)
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 पी वी 01				
	(i) हेजिंग पर	88.26/56.18	(2.37)/(4.82)	467.38/1.09	(4.75)/(7.99)
	(ii) हेजिंग पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2021 को एलओसी		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गई एलओसी		यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया एलओसी	
एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	24	357	2,278	21,136	26,849	88,439	1,227	568	1,40,878
अग्रिम	4,958	119	28,100	22,701	51,876	90,688	3,260	550	2,02,252
निवेश	3,348	3,127	4,813	14,759	10,855	58	844	3,284	41,088
उधार	6,567	3,865	28,593	3,008	17,812	13,817	1,010	1,040	75,712
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	12	5	600	645	728	3,569	130	18	5,707
विदेशी मुद्रा देयाताएं	6	5	523	54	606	2,357	872	808	5,231

11. आरक्षितियों से आहरित

इस वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है।

12. व्यवसाय अनुपात

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान से पूर्व) (%)	10.55	15.86
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान से पूर्व) (%)	1.17	1.74
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1.99	2.37

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया।

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	7	3
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	234	357
3 वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	240	353
3(i) जिनमें से बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	19	27
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	7

2. बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण

शिकायतों के कारण, (अर्थात् से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कालम 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष					
ऋण एवं अग्रिम	-	43	(27.12)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क / मोचनार्थ शुल्क लगाना	-	26	160	-	-
अन्य	7	165	(42.71)	1	-
विगत वर्ष					
ऋण एवं अग्रिम	-	59	126.92	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क / मोचनार्थ शुल्क लगाना	-	10	42.86	-	-
अन्य	3	288	57.38	7	4

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सी ई पी डी सी ओ परिपत्र संख्या सं.01/13.01.013/2020-21, दिनांक 27.01.2021 में बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने हेतु ने शिकायतों को 16 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने की सलाह दी थी। इस उद्देश्य के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15. प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष में कोई भी तुलन-पत्रेतर एस पी वी प्रायोजित नहीं किए गए।

16. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII - 'अन्य आय' में आय में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4,66,88,641 रुपये की पूर्व अवधि आय शामिल है [पिछले वर्ष और अनुसूची XIV में अन्य व्यय - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'परिचालन व्यय' में (₹2,58,64,368) [पिछले वर्ष (₹3,48,09,052)] का पूर्व अवधि व्यय शामिल है।

(ख) लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त) समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (कोषागार), ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार करने के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

व्यवसाय खंड	समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष उधार)		समग्र संचालन (पुनर्वित्त)		कोषागार		कुल	
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021
1 खंड राजस्व	1,209	1,162	6,587	8,580	1,343	906	9,139	10,648
अपवादात्मक मदें							-	518
योग							9,139	11,166
2 खंड परिणाम	340	190	1,689	2,391	601	276	2,630	2,857
अपवादात्मक मदें							-	518
योग							2,630	3,375
अविनिधानीय खर्च							242	227
परिचालन गत लाभ							2,388	3,148
आयकर (पुरांकन के बाद)							430	750
निवल लाभ							1,958	2,398
3 अन्य सूचना								
खंड की आस्तियां	14,432	11,678	1,89,084	1,46,141	42,083	33,116	2,45,599	1,90,935
अविनिधानीय आस्तियां							1,780	1,387
कुल आस्तियां							2,47,379	1,92,322
खंड देयताएं	10,617	8,387	1,74,444	1,34,556	35,888	26,501	2,20,949	1,69,444
अविनिधानीय देयताएं							2,145	1,884
योग							2,23,094	1,71,328
पूंजी /आरक्षितियाँ	3,753	3,261	14,472	11,414	6,060	6,319	24,285	20,994
योग							24,285	20,994
कुल देयताएं							2,47,379	1,92,322

भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

(ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण
(i) संबंधित पक्षकार के विवरण

पक्षकार का नाम	संबंधों की प्रकृति
सिडबी वेंचर कैपिटल लि	सहायक
सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	सहायक
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड	सहायक
इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी
एक्यूइट रेंटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी
रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी
एपिटको लिमिटेड*	सहयोगी
कितको लिमिटेड	सहयोगी

*20 नवंबर, 2021 को बेचा गया निवेश

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री सिवसुब्रमणियम रमण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक

(iii) संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन

मर्दे /संबंधित पक्ष	सहायक	सहयोगी / संयुक्त संस्थाएं	प्रमुख प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी	कुल (₹ करोड़)
उधारियाँ #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
जमा #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	4.00	1.00	-	5.00
जमा राशि का नियोजन #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
वर्ष के दौरान अधिकतम	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
अनिधिकृत वचनबद्धताएं #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
ली गयी पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	0.06	0.04	-	0.10
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश	28.31	0.31	-	-	28.62
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-	-	-
सेवाओं का प्रतिदान *	7.25	2.13	-	-	9.38
सेवाओं की प्राप्ति *	0.66	0.15	-	-	0.81
प्रबंधन संविदाएं **	-	-	1.36	-	1.36

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि जिन का खुलासा किया जाना है

* करारगत सेवाएं आदि किन्तु विशेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं

** प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को पारिश्रमिक

17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लिए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन और उत्पादन देयता प्रदान की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है और परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

31 मार्च, 2021	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022
			(राशि ₹ में)
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
31,47,50,68,542	लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन:		23,88,02,02,681
24,03,93,728	मूल्यहास	36,18,71,759	
15,61,67,178	निवेश में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान	5,53,33,454	
9,69,17,38,961	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	3,98,31,68,645	
(1,25,88,60,175)	निवेश की बिक्री से लाभ (निवल)	(70,43,74,178)	
(7,63,220)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(14,25,891)	
(4,53,97,66,761)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(47,78,14,759)	3,21,67,59,030
35,76,39,78,253	परिचालनों से उपार्जित नकदी		27,09,69,61,711
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
10,85,76,16,887	चालू आस्तियाँ	(38,08,83,847)	
(6,94,89,88,288)	चालू देयताएं	(17,31,75,47,708)	
1,39,26,20,479	विनिमय बिल	(13,44,52,273)	
93,34,65,07,455	ऋण एवं अग्रिम	(4,59,94,00,35,099)	
(1,66,13,19,29,316)	बाण्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियां	3,66,22,24,58,973	
1,84,40,47,31,854	प्राप्त जमाएं	1,64,66,31,03,814	
1,16,92,05,59,071			53,11,26,43,861
1,52,68,45,37,324			80,20,96,05,572
(4,57,94,32,771)	कर अदायगी	(5,04,41,76,103)	(5,04,41,76,103)
1,48,10,51,04,553	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		75,16,54,29,469
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(14,57,41,774)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(51,84,59,830)	
(1,54,33,87,55,349)	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	(1,42,32,30,93,515)	
4,53,97,66,761	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	47,78,14,759	
(1,49,94,47,30,362)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,42,36,37,38,586)
	3. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से प्राप्तियाँ	14,22,80,00,000	
-	ईन्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,06,38,44,062)	
-	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		13,16,41,55,938
(1,83,96,25,809)	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)		(54,03,41,53,179)
80,93,80,63,296	5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		79,09,84,37,487
79,09,84,37,487	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		25,06,42,84,308
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियाँ में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,54,935	हाथ में नकदी		7,18,409
93,96,47,857	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		92,87,49,749
37,50,81,24,592	म्यूचुअल फंड		19,99,90,00,050
40,65,00,10,103	जमा राशियाँ		4,13,58,16,100

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

परिशिष्ट-II

सिडबी के लाभ-हानि और
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ
समेकित तुलन-पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट मंतव्य

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (इसके पश्चात इसे 'बैंक' कहा जाएगा), इसकी सहायक संस्थाओं (मुख्य और इसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर 'समूह' कहलाती है) और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, इसमें यथा 31 मार्च, 2022 तक के तुलनपत्र, तब समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात इसे 'समेकित वित्तीय विवरण कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहयोगी संस्थाओं के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, प्रबंध तंत्र द्वारा प्रस्तुत सहायक के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14(1) के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। समूह और उसके सहयोगियों के मामलों पर यथा 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति व उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष हेतु इसके समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।

मंतव्य का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संपन्न की है। उक्त मानकों के तहत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व' खंड के अंतर्गत भी किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों का विवरण

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया
अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)	अग्रिमों के वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को प्रदत्त पुनर्वित्त ऋण और प्रत्यक्ष ऋण, नकद उधार, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ('भारतीय रिज़र्व बैंक') ने बैंकों के लिए अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। कोविड-19 से संबंधित विनियामक पैकेज आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में परिपत्र शामिल है।	<ul style="list-style-type: none"> अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 की वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

"नैतिकता संहिता" के अनुसार उक्त समूह एवं उसके सहयोगियों से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी धारणा है कि हमने लेखापरीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण विषय

- हम यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में कोविड -19 की वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के "अनुलग्नक I- के अतिरिक्त नोट्स" के नोट संख्या 14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उसमें किए गए उल्लेख के अनुसार, निरंतर अनिश्चितता के दृष्टिगत बैंक के परिचालनों और वित्तीय स्थिति पर वैश्विक महामारी के प्रभाव की सीमा सतत और साथ ही भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी।
- हम 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणियों के "संलग्नक I- के अतिरिक्त नोट्स" के नोट संख्या 2 ए (7), 2 बी और 2 सी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां प्रबंध तंत्र के अनुसार निवेश की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं है।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

- लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं, जो हमारी पेशेवर राय में यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में, उपयोग किया गया और हम इन विषयों पर एक अलग से कोई राय नहीं देते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है जैसाकि हमारी लेखापरीक्षा ने इन मामले को संबोधित किया है।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्संचित अग्रिमों सहित) करने के लिए उचित प्रक्रियाविधि की स्थापना शामिल है और बैंक द्वारा प्रत्येक अग्रिम के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों की मात्रा की पहचान करने और आवश्यक प्रावधान निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर पर निर्णय करने की आवश्यकता होती है।

अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान के महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान भारी गलत बयानों का कारक हो सकते हैं:

- आईआरएसीपी मानकों के अनुसार उसके मानदंडों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों की मान्यता की संपूर्णता और सामयिकता;
- ऋण जोखिम, कालावधि बढ़ने और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;
- अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का यथोचित व्यूहक्रमण।

अग्रिमों के वर्गीकरण के बाद से, अनर्जक आस्तियों की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्संचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान:

- के लिए बैंक द्वारा उपयुक्त स्तर की नियंत्रण प्रक्रियाविधि एवं महत्वपूर्ण स्तर का पूर्वानुमान किया जाना अपेक्षित है।
- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;
- कोविड -19 की वैश्विक महामारी के कारण आईआरएसीपी मानदंडों में परिवर्तन

हमने इस भाग को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया

- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं सम्पन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
 - i. वे अनुप्रयोग प्रणाली, जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं से प्राप्त अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण के बारे में विचार।
 - ii. दबावग्रस्तता की पहचान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ी जमा राशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार में बैंक बड़े ऋणों (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों विशेष उल्लेखनीय खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।
 - iii. मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना।
 - iv. ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेत थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में चूक की घटना हुई थी।
 - v. बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना।
 - vi. बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना।
 - vii. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में दबावग्रस्त/पुनर्संचित अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूने के तौर पर जांच।

पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने आस्ति वर्गीकरण तिथियों, अप्राप्त ब्याज का प्रत्यावर्तन, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान का दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाते की पद्धतिता सहित कारकों के आधार पर, नमूना के रूप में परीक्षण किया। हमने प्रमुख निविष्ट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और हमारे मापन के परिणामों की प्रबंध तंत्र द्वारा तैयार किए गए माप से तुलना की।

(ii) निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उसके लिए प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)

निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के तहत वर्गीकृत किया गया है। निवेश में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, म्यूचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश के मूल्यांकन, निवेश के वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और अनर्जक निवेश के प्रति प्रावधान शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से -

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्यूहक्रमण और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों और सूचित कंपनियों आदि की वित्तीय विवरणियों के आंकड़े/ संग्रह शामिल है।

हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बही के आधार पर हासिल मूल्यांकन के लिए प्रबंध का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य निर्धारण में शामिल प्रबंधन के निर्णय, के कारण निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया

- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;
- हाथ में निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;
- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और यदि एनपीआई के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशा निर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है;

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('सूचना प्रौद्योगिकी') प्रणाली और नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं प्रणाली में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
- बैंक के पास उचित समयावधि में चिन्हित किए गए अनुप्रयोग प्रणाली के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लेखापरीक्षा की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा परीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समयावधि में की जाती है।
- हमने बाह्य सलाहकारों द्वारा किए गए अनुप्रयोग प्रणाली लेखापरीक्षा और शाखाओं में किए गए आईएस लेखापरीक्षा की समीक्षा की है और उन पर भरोसा किया है।

(iv) प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV का नोट 10 और नोट 12)

प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई।

आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है।

बैंक का मूल्यांकन आवश्यकतानुसार मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में यह शामिल था :

- मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना;
- विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- बैंक के कर सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु के गुणावगुणों योग्यता का मूल्यांकन करना;
- बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन ; तथा

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमाकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित छूट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्त पोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।

हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।

हमारे लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे संबोधित किया

- आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देयताओं को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।
- हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बचमाकिक मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमाकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था। हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है।
- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक द्वारा हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ संगत है या नहीं अथवा तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई तथ्यात्मक मिथ्याकथन किया गया है, तो हमें इस मामले को अभिशासन प्रभारियों को सूचित करना होगा।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास सामान्य विनियम 2000 और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह के बारे में सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं। समूह में शामिल संस्थाओं और उसके सहयोगियों के संबंधित प्रबंधन पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने, समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा कपट व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन व प्रयोग औचित्यपूर्ण तथा

विवेकसम्मत निर्णय व प्राक्कलन करने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिचालन वाले ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण, व उन्हें कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें बैंक के प्रबंधन तंत्र ने उपर्युक्त रूप में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार करने तथा उसके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों सच्ची तथा उचित स्थिति दर्शाते हों और कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश हुए तथ्यात्मक मिथ्याकथन से रहित हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक तथा समूह में शामिल संस्थाओं और इसके संगठनों के संबंधित निदेशक मण्डल लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों प्रबंधन के प्रकटन तथा जबतक प्रबंधन समूह के समापन अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक व समूह में शामिल संस्थाओं तथा सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटि होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या- कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है किन्तु वह ऐसी गारंटी- नहीं है कि लेखापरीक्षक मानक के अनुरूप की गई लेखापरीक्षक में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चला जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप से तथ्यात्मक माना जाता है। जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम समूची लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम :

- कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिमों को पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें सम्पन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन का पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो लेकिन प्रभावकारिता पर मंतव्य व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीति की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम समेकित वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं, इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को इस तरीके से दर्शाएँ जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मंतव्य व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाएं, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा मंतव्य के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

इस संबंध में हमारे उत्तरदायित्व को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है।

हम अभिशासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किया है।

अभिशासन प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है, साथ ही हम उन सभी संबंधों और अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहां लागू हो, वहाँ तत्सम्बन्धी सुरक्षा उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन हमें ऐसे मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षित है व इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य विषय

- I. इन समेकित वित्तीय परिणामों में बैंक के प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा देखी गई/लेखापरीक्षित बैंक की 26 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2022 तक 95.50% अग्रिम, 99.22% जमा और 100% बैंक के उधार शामिल हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 91.95%, जमा पर ब्याज व्यय का 98.28% और बैंक के उधार पर 100% ब्याज व्यय शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने बैंक की उन शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और बैंक के प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।
- II. हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च 2022 तक कुल 33,227.90 करोड़ रुपये की आस्तियां, 1,031.01 करोड़ रुपये के कुल राजस्व और 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए 238.31 करोड़ रुपये के कर के बाद कुल शुद्ध लाभ दर्शाया गया है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,718.18 करोड़ रुपये की शुद्ध नकदी प्रवाह, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, की अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

III. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 5.80 करोड़, रुपये के निवल हानि में समूह का हिस्सा भी शामिल है। इसे, उन सहयोगियों के संबंध में जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमने प्रबंधन के लिखित अभ्यावेदन पर भरोसा किया है कि इन सहयोगी संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप रिपोर्ट किए गए नंबरों में किए जाने वाले परिवर्तनों / समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मंतव्य और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में उपर्युक्त मामलों के संबंध में और किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में कोई आशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

बैंक के प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सहयोगी संस्थाओं में निवेश का "समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन" के अनुरूप तैयार किया है।

हम सूचित करते हैं कि:

- क) हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) हमारी राय में, जहां तक हमने उक्त बहियों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच की है, उससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विधितः उपयुक्त बही-खाते रखे गए हैं;
- ग) इस रिपोर्ट में जिस समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ हानि खाते, तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है। वे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते बोरकर एवं मुजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या - 101569W

दर्शित दोशी

साझेदार

स्थान: मुंबई
तिथि: 17 मई, 2022

सदस्यता संख्या - 133755
यूडीआईन: 22133755AJCKLZ9767

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
पूँजी और देयताएं	अनुसूचियां		
पूँजी	I	5,68,54,11,689	5,31,92,20,310
आरक्षितियां अधिशेष एवं निधियाँ	II	2,50,62,78,84,150	2,15,99,74,22,124
जमा	III	17,07,04,29,74,899	14,43,64,76,71,085
उधार	IV	7,57,12,43,67,200	3,90,90,19,08,226
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	68,31,68,04,164	81,04,70,88,307
आस्थगित कर देयता		-	-
योग		27,88,79,74,42,102	21,36,91,33,10,052
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक शेष	VI	3,07,71,86,06,790	2,30,76,75,40,365
निवेश	VII	2,22,43,61,70,888	1,74,51,74,80,720
ऋण एवं अग्रिम	VIII	22,22,90,63,21,987	16,98,59,34,02,553
स्थिर आस्तियां	IX	2,93,91,01,100	2,78,11,70,106
अन्य आस्तियां	X	32,79,72,41,337	30,25,37,16,308
योग		27,88,79,74,42,102	21,36,91,33,10,052
आकस्मिक देयताएँ	XI	53,37,90,27,297	59,50,61,36,098

समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची XV) और लेखांकन टिप्पणियाँ (संलग्नक I)

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन - पत्र का एक अविभाज्य अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

समेकित लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
आय	अनुसूचियां		
ब्याज एवं छूट	XII	97,15,63,76,643	1,12,14,30,74,986
अन्य आय	XIII	4,17,42,36,689	9,29,57,83,352
योग		1,01,33,06,13,332	1,21,43,88,58,338
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		63,63,01,56,138	71,90,88,70,723
परिचालन व्यय	XIV	7,11,77,65,894	5,71,33,89,306
प्रावधान एवं आकस्मिक		3,78,96,12,908	9,43,00,01,542
योग		74,53,75,34,940	87,05,22,61,571
कर पूर्व लाभ		26,79,30,78,392	34,38,65,96,767
आयकर के लिए प्रावधान		4,99,84,22,319	7,82,66,84,203
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		11,67,75,995	33,54,64,587
सहयोगी संस्थाओं में (अर्जन)/हानि का हिस्सा		5,80,86,505	14,89,71,485
कर पश्चात लाभ		21,61,97,93,573	26,07,54,76,492
अग्रानीत लाभ		3,01,46,01,008	1,83,56,07,154
कुल लाभ / (हानि)		24,63,43,94,581	27,91,10,83,646
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		18,00,54,03,423	22,50,12,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण		70,00,00,000	80,00,00,000
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		46,56,33,348	49,04,38,576
अन्य			
ए) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		10,96,07,912	-
कर्मचारी कल्याण कोष में अंतरण		10,56,54,000	4,10,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		79,81,84,026	1,06,38,44,062
लाभांश पर कर		-	-
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		4,44,99,11,872	3,01,46,01,008
योग		24,63,43,94,581	27,91,10,83,646
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन		40.63	49.02
समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियां (अनुलग्नक I)			
उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 इक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (₹ 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
- इक्विटी शेयर पूंजी ((₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 इक्विटी शेयर)	5,68,54,11,689	5,31,92,20,310
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
योग	5,68,54,11,689	5,31,92,20,310

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) आरक्षितियाँ		
i) सामान्य आरक्षितियाँ		
- अथशेष	1,73,49,59,28,207	1,50,99,47,28,207
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,01,15,35,086	22,50,12,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	1,91,50,74,63,293	1,73,49,59,28,207
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथशेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,86,18,08,620	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	30,54,25,88,310	16,68,07,79,690
iii) विशेष आरक्षितियाँ		
क) निवेश आरक्षिति		
- अथशेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	-	-
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियाँ		
- अथशेष	17,02,00,00,000	16,22,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	17,72,00,00,000	17,02,00,00,000
ग) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-IC के तहत वैधानिक रिज़र्व बनाया गया		
- अथशेष	1,67,88,38,157	1,18,83,99,581
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,56,33,348	49,04,38,576
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	2,14,44,71,505	1,67,88,38,157
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति		
- अथशेष	1,14,93,45,043	1,14,93,45,043
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	10,96,07,912	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	1,25,89,52,955	1,14,93,45,043

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

	(राशि ₹ में)	
ख) लाभ और हानि खाते में अधिशेष	4,44,99,11,872	3,01,46,01,008
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथशेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/ पुनरांकन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
ख) कर्मचारी कल्याण कोष		
- अथशेष	28,17,87,187	25,22,07,485
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/ पुनरांकन	10,56,54,000	4,10,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	5,90,87,804	1,14,20,298
- अंतिम शेष	32,83,53,383	28,17,87,187
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग	2,50,62,78,84,150	2,15,99,74,22,124

	(राशि ₹ में)	
अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) सावधि जमा	86,10,40,72,379	50,04,64,96,085
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के तहत	12,74,31,35,25,000	11,26,05,11,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के तहत	5,00,00,00,000	10,00,00,00,000
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	7,93,64,00,000	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के तहत	10,43,02,77,520	8,02,35,25,000
ङ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के तहत	25,00,00,00,000	50,00,00,00,000
च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबन्धित अंतराल के तहत	2,98,25,87,00,000	1,99,52,65,00,000
उप-योग (ख)	16,20,93,89,02,520	13,93,60,11,75,000
योग	17,07,04,29,74,899	14,43,64,76,71,085

	(राशि ₹ में)	
अनुसूची IV: उधारियाँ	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1) भारत में उधारियाँ		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	1,44,20,00,00,000	-
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बाण्ड सहित)	5,62,06,57,105	20,40,09,88,429
3. बांड और डिबेंचर	1,62,85,00,00,000	1,70,87,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	50,00,00,00,000	38,75,00,00,000
- जमा प्रमाणपत्र	1,49,00,00,00,000	42,85,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	1,68,89,90,51,099	48,14,20,83,006
- सावधि मुद्रा उधारियाँ	-	-
- अन्य	25,66,91,30,100	4,99,94,82,245
उप-योग	7,06,23,88,38,304	3,26,01,75,53,680

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)		
अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
II) भारत के बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	5,60,16,04,462	7,92,50,08,344
(ख) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)	14,92,77,01,680	20,87,89,58,963
(ग) आईएफएडी, रोम	1,05,67,31,387	1,10,10,79,766
(घ) विश्व बैंक	28,29,18,43,248	33,21,79,18,293
(ङ) अन्य	1,00,76,48,119	1,76,13,89,180
उप-योग (II)	50,88,55,28,896	64,88,43,54,546
योग (I & II)	7,57,12,43,67,200	3,90,90,19,08,226

(राशि ₹ में)		
अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
उपचित ब्याज	17,19,38,84,962	22,14,73,99,407
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,61,97,08,540	3,26,55,18,260
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	16,01,409	13,50,36,000
कर्मचारियों के अन्य लाभ के लिए प्रावधान	2,85,85,20,654	2,50,67,34,898
विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रावधान	1,53,73,62,768	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	11,44,67,32,156	11,65,00,62,425
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	79,81,84,026	1,06,38,44,062
निधियां नवकांक्षा निधि, स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि	15,15,42,51,789	12,33,11,61,527
अस्थायी प्रावधान	4,95,67,37,932	10,99,96,00,000
अन्य (प्रावधानों सहित)	10,74,98,19,928	15,41,03,68,962
योग	68,31,68,04,164	81,04,70,88,307

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

आस्तियां

		(राशि ₹ में)	
अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021	
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	7,23,087	6,63,600	
2. अन्य बैंकों में अतिशेष			
(क) भारत में			
i) चालू खातों में	91,26,88,841	93,19,80,206	
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,03,55,39,16,222	2,26,83,65,49,330	
(ख) भारत के बाहर			
i) चालू खातों में	1,63,27,034	1,90,00,930	
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,23,49,51,606	2,97,93,46,299	
योग	3,07,71,86,06,790	2,30,76,75,40,365	

		(राशि ₹ में)	
अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021	
क) राजकोषीय परिचालन			
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	39,90,00,85,004	36,25,12,72,542	
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बांड और डिबेंचर	31,31,54,82,382	5,24,16,82,049	
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बांड और डिबेंचर	1,98,08,42,613	1,98,08,42,613	
4. म्युचुअल फंड	19,99,90,00,050	37,50,81,24,592	
5. वाणिज्यिक पत्र	50,04,99,24,399	65,68,39,65,908	
6. जमा प्रमाणपत्र	56,46,67,59,624	13,97,08,63,310	
7. अन्य	9,00,00,00,000	-	
उप-योग (क)	2,08,71,20,94,072	1,60,63,67,51,014	
ख) व्यवसाय परिचालन			
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,84,97,71,142	1,84,97,71,142	
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बांड और डिबेंचर	5,65,33,000	5,65,33,000	
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बांड और डिबेंचर	3,93,64,98,845	4,46,46,49,681	
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-	
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	6,31,40,45,945	6,42,18,48,997	
6. अन्य	1,56,72,27,884	1,08,79,26,886	
उप-योग (ख)	13,72,40,76,816	13,88,07,29,706	
योग (क+ख)	2,22,43,61,70,888	1,74,51,74,80,720	

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण और अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक और वित्तीय संस्थान	18,32,97,60,08,903	14,31,27,54,73,388
- सूक्ष्म वित्त संस्थान	42,11,55,15,973	26,99,06,19,241
- एनबीएफसी	2,03,61,89,01,279	1,24,28,41,94,906
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (पास थ्रू सर्टिफिकेट के लिए सदस्यता (पीटीसी))	52,36,63,441	-
उप-योग (क)	20,79,23,40,89,596	15,82,55,02,87,535
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण और अग्रिम	1,43,30,55,40,693	1,15,81,08,75,592
- प्राप्य वित्त योजना	3,07,84,956	23,22,39,426
- भुनाए गए बिल	33,59,06,742	-
उप-योग (ख)	1,43,67,22,32,391	1,16,04,31,15,018
योग (क+ख)	22,22,90,63,21,987	16,98,59,34,02,553

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: स्थिर आस्तियां [मूल्यहास घटाकर]	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. परिसर	2,89,84,36,991	2,75,92,83,828
2. अन्य	4,06,64,109	2,18,86,278
योग	2,93,91,01,100	2,78,11,70,106

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
उपचित ब्याज	17,14,85,64,429	18,48,06,59,934
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	1,71,25,78,669	78,40,01,791
कर्मचारी ऋण	1,79,12,15,676	1,69,52,27,467
व्युत्पन्नी आस्तियां	4,29,61,53,456	5,83,74,04,868
व्यय, जिस सीमा तक बड़े खाते में नहीं डाला गया है	6,61,38,10,576	1,94,24,53,524
अन्य	1,23,49,18,531	1,51,39,68,724
योग	32,79,72,41,337	30,25,37,16,308

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
i) बैंक पर वे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	6,56,25,72,519	5,06,41,82,735
ii) गारंटी/साख पत्रों के फलस्वरूप	31,50,24,390	20,23,30,137
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	6,51,81,80,889	21,81,77,727
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता किए गए शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियाँ एवं उद्यम पूंजी निधि आदि से अनाहरित हामीदारी के फलस्वरूप	95,64,22,740	17,46,36,734
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के फलस्वरूप	39,02,68,26,759	53,84,68,08,765
vii) अन्य मर्दे जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	-	-
योग	53,37,90,27,297	59,50,61,36,098

समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज और बट्टा	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. ऋण, अग्रिम और बिलों पर ब्याज और बट्टा	79,90,41,21,266	95,55,49,76,984
2. निवेश/बैंक शेष पर आय	17,25,22,55,377	16,58,80,98,002
योग	97,15,63,76,643	1,12,14,30,74,986

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. अपफ्रंट और संसाधन शुल्क	56,15,83,560	40,28,86,367
2. कमीशन और दलाली	78,19,049	83,89,829
3. निवेश की बिक्री से लाभ	77,17,94,503	1,27,43,88,726
4. अनुषंगियों/सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	30,60,000	25,50,000
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	75,00,000	5,96,524
6. अशोध्य ऋणों से वसूली	2,03,12,69,846	1,42,52,18,289
7. प्रावधानों का विपर्यय / एएफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	5,17,85,60,369
8. अन्य	79,12,09,731	1,00,31,93,248
योग	4,17,42,36,689	9,29,57,83,352

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालनगत व्यय	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	3,73,19,04,827	3,90,39,87,544
किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	15,68,56,386	15,10,55,154
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेली और बीमा	1,41,95,518	1,39,17,644
विज्ञापन और प्रचार	3,19,63,215	2,91,30,216
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / परिशोधन	36,43,50,321	24,08,96,441
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	63,77,767	56,65,658
लेखा परीक्षक की फीस	52,87,176	36,96,387
विधि प्रभार	4,06,12,250	1,90,74,526
मरम्मत और रखरखाव	13,04,14,423	12,09,70,459
निर्गम व्यय	1,21,01,863	42,82,499
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि	8,09,48,867	1,49,78,690
निविष्ट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है	10,30,52,881	9,30,45,281
अन्य व्यय	2,43,97,00,400	1,11,26,88,807
योग	7,11,77,65,894	5,71,33,89,306

अनुसूची XV- महत्वपूर्ण समेकित लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में लागू प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंध से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी पुनरीक्षण का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की वर्तमान और भावी अवधि की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

समेकन प्रक्रिया:

सहायक संस्थाओं के वित्तवर्ष 2021-22 एवं 2020-21 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) मुद्रा यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
- 2) सिडबी उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड
- 3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के वित्तवर्ष 2021-22 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) एक्वीडेटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
- 2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
- 3) दिल्ली वित्त निगम
- 4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
- 5) किटको लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के वित्तवर्ष 2020-21 के समेकित वित्तीय विवरणों में (निम्नांकित) शामिल हैं:

- 1) एक्वीडेटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
- 2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
- 3) दिल्ली वित्त निगम

- 4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
- 5) किटको लिमिटेड
- 6) एपिटको लिमिटेड

समूह (3 सहायक और 7 सहयोगी संस्थाओं जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है

- क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) लेखापरीक्षित लेखे:
- ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष / सव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में 3 सहायक कंपनियों की आस्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।
- ग. सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।
- घ. लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं।

2. राजस्व निर्धारण:

बैंक को राजस्व से जो भी संभव आर्थिक लाभ मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

- i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।
- ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।
- iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।
- iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

- vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:
- क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज
- ख) मूलधन
- ग) लागत व प्रभार
- घ) ब्याज एवं
- ङ) दंडात्मक ब्याज
- viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।
- ix. पहले वर्षों में बड़े खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है
- x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।
- xi. सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देयताओं (सांविधिक देयताओं के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।
- xii. बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे धन वापसी आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर धन वापसी पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।
- xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा आदि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।
- xiv. एलसी बैंक गारंटी पर कमीशन को अवधि के अनुपात में उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है
- xv. मुद्रा- ब्याज सबवेंशन योजना पर प्रशासनिक आय को पूरे किए गए कार्य के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- xvi. एसवीसीएल - राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। राजस्व को मान्यता नहीं दी जाती है जहां संबंधित उद्यम पूँजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों में आहरण प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और ऐसे मामलों में इसे प्राप्त होने पर प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंध किए जा रहे उद्यम पूँजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/ वार्षिक आधार पर (संबंधित निधि दस्तावेजों में निर्धारित अनुसार) प्रबंध शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

कंपनी आईआईबीआई द्वारा सौंपे गए निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की दर से आय को मान्यता देती है

- xvii. एसटीसीएल - राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंध किए जा रहे उद्यम पूँजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/ वार्षिक आधार पर (संबंधित निधियों के साथ अनुबंधों में निर्धारित) ट्रस्टीशिप शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

ख) व्यय:

- i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बड़े को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक

धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समय रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजर अंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

- (ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- (iii) कोषागार बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।
- (iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं हैं / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।
- (v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए राशि समूहों या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।
- (vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते किया गया है।
- (vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

- (viii) निवेशों की लागत भारत औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।
- (ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।
- (x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।
- (xi) बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- (xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।
- (xiii) (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया गया है।

- i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।
- ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
- iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
- iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
- v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

- vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान के प्रति होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वे उत्पन्न होते हैं।
- vii. बकाया वायदा विनिमय अनुबंध जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) के समापन दरों पर किया जाता है।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण एवं अग्रिम:

- i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अनर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
- ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिमों, अनर्जक अग्रिमों एवं पुनर्संचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।
- iii. मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- iii. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।
- iv. मुद्रा: मुद्रा विभिन्न सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) / बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा प्राप्त ऋण प्राप्तियों द्वारा समर्थित पास थ्रू प्रमाणपत्रों की सदस्यता ले रही है। इस तरह के प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलनपत्र में सकल आधार पर दिखाया जाता है, जो बही मूल्य पर होते हैं और प्रावधान अलग से दिखाए जाते हैं। यद्यपि, मानक आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

7. कराधान:

- (i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।
- (ii.) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल हैं, को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत लिया गया है।

8. प्रतिभूतिकरण

- (i) बैंक ऋण रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतिकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।
- (ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- (iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकोती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का पात्र होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।
- (iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।
- (v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्त को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

- (i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्त (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। प्रतिभूति रसीद आधार पर बिक्री के मामले में, अथवा उसके बिक्री प्रतिफल के भाग को प्रतिभूति रसीदों में निवेश के रूप समझा जाता है।
- (ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-

हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान:

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

- भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।
- ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।
- बीमांकिक लाभों या हानियों की पहचान उनकी अवधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में की जाती है।
- नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।
- वर्ष के दौरान हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पाविधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बहुकृत आधार पर होता है और उस सेवा-अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का पात्र बनता है।

एसवीसीएल:

कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं:

कंपनी ग्रेच्युटी के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ तुलन - पत्र तिथि पर स्वतंत्र बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर

आधारित वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि विवरण के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। कंपनी ने अपनी निधि से भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") के साथ एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।

कार्यनिष्पादन वेतन:

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रोत्साहन है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

छुट्टी नकदीकरण:

छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। बकाया अवकाश को अवकाश नीति के आधार पर लघु अवधि और लंबी अवधि के लिए छुट्टी नीति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार अल्पाविधि और दीर्घकालिक अवकाश मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास:

- स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।
- आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।
- पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूंजीकरण की तारीख जो भी हो)-
 - फर्नीचर और फिक्सचर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से
 - कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से
 - भवन-मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से
 - विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यहासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से
 - मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से
- वस्तुओं के जोड़ने पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यहास नहीं होता।
- पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

मुद्रा -

आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया है। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे लाइन विधि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। ₹ 5,000/- या उससे कम की लागत वाली आस्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यहासित कर दिया गया है।

एसवीसीएल -

अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से लिखित डाउन वैल्यू विधि पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल / टैलीफोन उपकरणों / टैबलेट उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यहास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100% की दर से मूल्यहास प्रदान किया गया है। मूल्यहास मासिक आधार पर प्रभारित किया गया है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ:

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियाँ

का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा:

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके:

- क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा
- ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

संलग्नक I

1. समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात	वर्ष अंत में लाभ /हानि	
				31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	5,03,20,749	4,75,54,472
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	46,52,056	50,02,018
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	2,32,81,66,742	2,45,21,92,879
योग				2,38,31,39,547	2,50,47,49,369

वित्त वर्ष 2022 के लिए सभी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया गया है।

*चूंकि सहायक कंपनियों के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, इसलिए अल्पांश हित से संबंधित कोई अलग प्रकटीकरण परिलक्षित नहीं होता है।

2. समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के चालू और पिछले वर्ष के ब्यौरे निम्नवत हैं

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)		विवरण	निवेश (अंकित मूल्य)	निवेश		वर्षांत में लाभ / हानि का हिस्सा ^[1]		आरक्षितियों में हिस्सा ^[1]	
		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा) ^[2]	35.73	35.73	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	5,18,19,174	3,60,22,888	15,36,09,345	9,56,58,508
2	इंडिया एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड ^[3]	26.00 ^[3]	26.00 ^[3]	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	26,00,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	72,192	16,43,292	3,33,57,371	3,32,85,178
3	दिल्ली वित्त निगम ^[4]	23.66	23.71	राज्य वित्त निगम	6,27,75,000	3,13,87,500	3,13,87,500	(2,20,74,735)	(10,04,72,015)	(2,24,41,109)	(3,66,375)
4	रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ^[5]	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्ट्रिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	(7,04,071)	(1,64,89,459)	(7,82,62,470)	(7,75,58,399)
5	एपिटको लिमिटेड ^[6]	0.00	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	-	-	54,70,975	(3,45,22,441)	(52,08,453)	-	3,45,22,441
6	किटको लिमिटेड ^[5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(5,26,76,624)	(5,56,93,535)	16,71,81,276	21,98,57,900
7	इण्डिया एसएमई टेक्नालजी सर्विसेज लिमिटेड	22.73	22.73	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	1,00,00,000	1	1	-	(87,74,203)	-	-
योग						49,48,82,797	50,03,53,772	(5,80,86,505)	(14,89,71,485)	25,34,44,413	30,53,99,253

- (i) मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगियों में (अर्जन)/ हानि का हिस्सा मद के तहत समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II ए (i) में, (₹ 5,80,86,505) (पिछले वर्ष (₹ 14,89,71,485/-) के आरक्षित निधि में नामे किया गया है।
(ii) तुलन पत्र मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए की अनुसूची II -आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां में, ₹ 25,34,44,413 (पिछले वर्ष ₹ 30,53,99,253/-) के आरक्षित निधि में शामिल।
- एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।
- इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक कंपनी) द्वारा 11% होल्डिंग शामिल है।

4. दिल्ली वित्त निगम के आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।
 5. रिसेवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और किटको लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईएनडी एस के अनुसार गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।
 6. एपिटको लिमिटेड, जिसे वित्त वर्ष 2021 के दौरान एसीटी के समेकन के लिए विचार किया गया था, का वित्त वर्ष 2022 के दौरान विनिवेश किया गया है।
 7. एक सहयोगी अर्थात् आईएसटीएसएल परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। सिडबी ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में इस सहयोगी में निवेश पर पूरा प्रावधान किया है। इसके अलावा, विवेक के मामले के रूप में, ₹ 87,74,203 रुपये के इस सहयोगी में भंडार का कैरी फॉरवर्ड शेयर मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण में नामे किया गया है।
- ख. निम्नलिखित सहयोगियों के परिणाम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में कमी के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में हास	
		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफसी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	24.18	24.18	राज्य वित्त निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	(21,67,59,000)
योग					70,94,41,100	(70,94,41,100)	(70,94,41,100)

जीएसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। पीएफसी, बीएसएफसी और एमएसएफसी के आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के संबंध में, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणाम उपलब्ध हैं।

- ग. हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में, बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एसएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश का बुक मूल्य ₹ 1 / - लिया गया है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	
		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
2	पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड §	-	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	-	1
3	ओड़ीशा औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड §	-	49.67	तकनीकी परामर्श संगठन	-	1
					1	3

§ 2022 के दौरान उपरोक्त 2 टीसीओ अर्थात् नीटको और ओरिटको में सिडबी की पूरी हिस्सेदारी बेची गई थी।

- 3 चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।
- 4 सिडबी की मूल्यहास नीति के अंतर्गत एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों से आस्तियों पर मूल्यहास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यहास का परिकलन करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹ 36,43,50,321/ (गत वर्ष ₹ 24,08,96,441/) के कुल मूल्यहास में ₹ 24,78,562/- यानी राशि का 0.68% (गत वर्ष ₹ 9,67,513/- यानी राशि का 0.21) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यहास के अनुसार किया गया है।

5 कर्मचारियों के हितलाभ

(i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को अभिनिर्धारित किया है:

विवरण	(राशि ₹ में)	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	7,68,83,415	7,90,27,233
नई भविष्य निधि योजना में नियोजक का अंशदान	3,17,67,054	2,69,44,564

(ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

	₹ करोड़			
	पेंशन		उपदान	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21	वि व 2021-22	वि व 2020-21
1. धारणाएँ				
बढ़ा दर	7.25%	6.85%	6.90%	6.35%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.25%	6.85%	6.90%	6.35%
वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	553.50	529.88	106.70	99.64
ब्याज लागत	22.69	30.78	6.56	6.54
मौजूदा सेवा लागत	14.97	14.92	5.97	5.68
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	(32.86)	(6.61)	(9.75)
देनदारियों पर बीमांकित (लाभ) / हानि	(14.23)	10.78	(3.67)	4.59
वर्ष के अंत में देयता	576.93	553.50	108.95	106.70
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	501.50	468.69	105.73	108.15
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	34.35	33.96	6.69	7.24
अंशदान	0.00	32.86	0.33	0.22
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कंपनी को अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	(32.86)	(6.61)	(9.75)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	53.76	(1.15)	(0.22)	(0.13)
वर्षांत पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73

₹ करोड़

	पेंशन		उपदान	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21	वि व 2021-22	वि व 2020-21
4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(14.23)	10.78	(3.67)	4.59
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(53.76)	1.15	0.22	0.13
आय व व्यय विवरणी में अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	(67.99)	11.93	(3.45)	4.72
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	34.35	33.96	6.69	7.24
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	53.76	(1.15)	(0.22)	(0.13)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	88.11	32.81	6.47	7.11
6. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(576.93)	(553.50)	(108.95)	(106.70)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	589.61	501.50	105.92	105.73
अंतर	12.68	(52.00)	(3.03)	(0.97)
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि	12.68	(52.00)	(3.03)	(0.97)
7. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि				
वर्तमान सेवा लागत	14.97	14.92	5.97	5.68
ब्याज लागत	22.69	30.78	6.56	6.54
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(34.35)	(33.96)	(6.69)	(7.24)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(67.99)	11.93	(3.45)	4.72
लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय	(64.68)	23.67	2.39	9.70
8. तुलन-पत्र का मिलान				
अथशेष निवल देयताएँ	52.00	61.19	0.97	(8.51)
यथोक्त व्यय	(64.68)	23.67	2.39	9.70
नियोक्ता का योगदान	0.00	(32.86)	(0.33)	(0.22)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि	(12.68)	52.00	3.03	0.97
9. अन्य विवरण				
बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग-क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है।				

₹ करोड़

	पेंशन		उपदान	
	वि व 2021-22	वि व 2020-21	वि व 2021-22	वि व 2020-21
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ	589.61	501.50	105.92	105.73
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	589.61	501.50	105.92	105.73

11. अनुभव समायोजन:

	पेंशन					उपदान				
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2018	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2018
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	15.71	(1.14)	46.87	(22.03)	66.81	0.65	(0.43)	3.28	(19.71)	10.18
योजना आस्ति पर (लाभ)/हानि	(53.76)	(1.15)	25.17	(2.32)	0.32	0.22	0.13	(0.09)	(0.35)	(0.10)

- (ग) स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रदान किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य दीर्घकालिक लाभ योजना से संबंधित लाभ और हानि खाते में प्रभाषित राशि निम्नलिखित है।

₹ करोड़

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	12.97	25.26
2	रुग्णता अवकाश	0.47	0.34
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.30	(0.29)
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	9.84	4.16

(ii) एसवीसीएल

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस स्कीम (ट्रस्ट) में 6,20,896/- रुपये (पिछला वर्ष - 4,21,596/- रुपये) का योगदान दिया है।

(राशि ₹ में)

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	नियोजनोंपरांत हितलाभ
	वि व 2022	वि व 2021
हितलाभ का स्वरूप	उपदान	उपदान
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गेर-निधि-निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधिदत्त या अंशतः निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	64,60,592	77,75,429
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	66,14,266	76,04,491
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन-पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	66,14,266	76,04,491

विवरण	(राशि ₹ में)	
	नियोजनोंपरांत हितलाभ वि व 2022	नियोजनोंपरांत हितलाभ वि व 2021
निवल देयताओं में बदलाव		
अथशेष निवल देयताएँ	1,70,938	(1,00,882)
व्यय	2,96,284	6,93,416
अंशदान	(6,20,896)	(4,21,596)
अंतिम निवल देयताएं	1,53,674	1,70,938
लाभ और हानि लेखे में अभिनिर्धारित व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	3,19,723	3,16,508
ब्याज लागत	5,32,617	4,80,353
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,20,908)	(4,87,344)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(35,148)	(3,83,899)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	2,96,284	6,93,416
पिछली सेवा की लागत	शून्य	शून्य
कटौती/निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59 (बी) में सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
बीमांकिक धारणाएं		
बढ़ा दरें	6.85%	6.93%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.85%	6.93%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)
अपंगता	शून्य	शून्य
ह्रास	3.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति उम्र	60 वर्षों	60 वर्षों

(iii) मुद्रा

(क) सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजकों द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹ 12.18 लाख (मार्च 2020 में ₹ 20.54 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी को अदा किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी लाभ लागू नहीं है।

(ख) इसलिए कंपनी लेखा मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी संशोधित एएस 15- कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

6 प्रति शेयर अर्जन*:

	(राशि ₹ में)	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	21,61,97,93,573	26,07,54,76,492
प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	53,21,22,684	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन	40.63	49.02

*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

- 7 लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹ 11,67,75,995/- (गत वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹ 33,54,64,587/-) का निर्धारण किया है।

यथा 31 मार्च, 2022 आस्थगित कर आस्ति/(देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत हैं:

क्र.स.	समय-अंतराल	वि व 2021-22 (₹) आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	वि व 2020-21 (₹) आस्थगित कर आस्ति / (देयता)
1	मूल्यहास के लिए प्रावधान	2,79,93,040	67,00,765
2	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ	(3,87,65,37,167)	(3,71,54,81,342)
3	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	66,39,15,061	65,68,80,198
4	भारत सरकार के बाँडों पर प्रीमियम का परिशोधन	-	(1,06,49,427)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	30,66,284	54,95,443
6	अग्रानीत दीर्घावधि पूँजी हानि	-	-
7	गैर निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	-	-
8	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,88,09,11,626	2,93,20,85,788
9	अन्य	70,49,01,616	64,59,94,738
निवल आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)		40,42,50,460	52,10,26,163

- 8 (i) पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राकलित राशि ₹ 1,89,87,686/- (गत वर्ष ₹ 75,66,907/-) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है। (ii) मुद्रा कंपनी की 0.14 करोड़ रुपये की अमूर्त पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धता है।

9 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा:

- i) बैंक ने 7 जून, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषयक परिपत्र के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्लान (आर पी) लागू किया है, उसमें मामलों की संख्या शून्य है। इसके अलावा पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों का शून्य अधिग्रहण होता है, जिसे अन्यथा पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर विनियामक सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाती।
- ii) “कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, जहां बैंक ने समाधान योजना लागू की है, 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के लिए उक्त परिपत्र के प्रारूप - बी में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है :-

(₹ राशि)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) *	कुल (ए) से ऐसे ऋण जो छमाही के दौरान अनर्जक आस्ति हो गए	कुल ए में से छमाही के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	कुल ए में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि \$	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति
वैयक्तिक ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति*	32.81	---	0	(0.18)	32.99
जिनमें से एमएसएमई	32.81	---	0	(0.18)	32.99
अन्य	---	---	---	---	---
योग	32.81	---	0	(0.18)	32.99

* यथा 30 सितंबर, 2021 पुनर्संरचना के लिए प्राप्त अनुरोध जिसे बाद में संसाधित किया गया है, शामिल है।

\$ बकाया राशि में निवल संचलन का प्रतिनिधित्व करता है।

- iii. उधारकर्ता खातों की संख्या जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर/ एसटीआर/आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 समाधान ढांचा - 2.0 पर: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित दबाव का समाधान शून्य है। इसके अलावा समाधान ढांचा 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया था।

10 अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं में ₹ 6,56,25,72,519 रुपये (पिछला वर्ष ₹ 5,06,41,82,735) के "बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" शामिल है। ये दावे विभिन्न कानूनी मामलों और आयकर और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित हैं जो बैंक व्यवसाय के सामान्य परिचालन में बैंक के खिलाफ दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं माना जा रहा है।

- 11 प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि के संदर्भ में बैंक की अचल परिसंपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं है।
- 12 आकस्मिकताओं में प्रावधानों के लिए लेखांकन मानक 29 के तहत प्रकटीकरण। बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर पांच साल में की जाती है। इस तरह की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से लंबित है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2022		वि व 2021	
	वेतन	बकाया /प्रोत्साहन	वेतन	बकाया /प्रोत्साहन
अथशेष	1,07,63,00,000		76,00,00,000	
जोड़ें:				
बकाया	31,50,00,000		31,63,00,000	
प्रोत्साहन				
उपयोग:				
प्रति लेखन				
अंतिम शेष	1,39,13,00,000		1,07,63,00,000	

13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की पुनर्संरचना:

भारतीय रिज़र्व बैंक के 11 फरवरी, 2020 के परिपत्र के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की पुनर्संरचना किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर अपने 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर / एसटीआर/ आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान फ्रेमवर्क 2.0 की सलाह दी है। इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खातों की पुनर्संरचना निम्नानुसार है:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1189	844.51

- 14 कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, यह चल रहे और भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
- 15 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर वित्त वर्ष 2022 के लिए 150.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 174 करोड़) के अतिरिक्त मानक आस्ति प्रावधान किए हैं, जिन्हें इसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था।
- 16 भारत सरकार द्वारा धारित सिडबी के टियर-1 पूंजी बांडों को 30 मार्च, 2022 तक सिडबी की ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित किया गया है। तदनुसार, भारत सरकार को 388.54 रुपये प्रति शेयर के बही मूल्य पर 3,66,19,138 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप बैंक की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 5,68,54,11,690 हो गई है। अंकित मूल्य और बही मूल्य के बीच का अंतर कुल ₹ 13,86,18,08,620 शेयर प्रीमियम (आरक्षित) खाते में जमा किया गया है।

- 17 भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निदेश के अनुसार आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, की बकाया राशि एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।
- 18 **मुद्रा इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड (आईएमईएफ): नोट:** भारत सरकार (जीओआई) ने 300 करोड़ रुपये के कोष के साथ सिडबी के साथ “इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड (आईएमईएफ)” बनाया है। इस कोष का उपयोग गरीबी उन्मूलन और देश के असेवित और अल्पसेवित हिस्सों में परिचालन की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से छोटे सामाजिक रूप से उन्मुख एमएफआई पर ध्यान केंद्रित करते हुए टियर -2 और टियर -3 एनबीएफसी एमएफआई और सभी गैर-एनबीएफसी एमएफआई को इक्विटी या पूंजी के किसी अन्य रूप का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईएमईएफ का कॉर्पस फंड सिडबी से मुद्रा में स्थानांतरित कर दिया गया है। निधि का संचालन/प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया गया है जिसके लिए आहरित राशि पर 1% प्रति वर्ष प्रशासनिक शुल्क निधि में लिया गया है और मुद्रा द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को निधि में जमा/नामे किए जाते हैं। इसलिए, आईएमईएफ की निधि शेष, निवेश का शुद्ध तुलन पत्र में “अन्य चालू देनदारियों” के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2022 को निधि में शेष राशि ₹ 3,10,80,74,899/- है। पूरी धनराशि 04 अप्रैल, 2022 को सिडबी को वापस हस्तांतरित कर दी गई है।
- 19 24 सितंबर, 2021 के ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान:
- बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है जो चूक में न हो।
 - बैंक ने किसी भी अनर्जक आस्तियों को आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को / अनुमत अंतरतियों को / अन्य अंतरतियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
 - बैंक ने कोई तनावग्रस्त ऋण प्राप्त नहीं किया है और किसी भी ऋण को हस्तांतरित नहीं किया है जो चूक / विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है।
 - बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- 20 “मूल और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय आंकड़ों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणों में उन मद्दों से संबंधित जानकारी का भी खुलासा नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- 21 **इंड-एस का कार्यान्वयन:**
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को 15 मई, 2019 को जारी पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए इंड-एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, आईजीएपी के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। हालांकि, बैंक छमाही आधार पर प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र में सलाह दी गई थी। वर्तमान में सिडबी आईजीएपी वित्तीय विवरणों को इंड-एस वित्तीय विवरणों में परिवर्तित करने के लिए एक्सेल शीट्स का उपयोग कर रहा है। उपरोक्त परिपत्र के अनुसार बैंक ने 30 सितंबर, 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को आईजीएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं।
- 22 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए पृथक प्रारूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई एसआईडीएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।
- 23 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित एवं वर्गीकृत किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1. पूंजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार)

		(₹ करोड़)	
क्र.सं.	विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	24,425.84	22,650.64
iv)	टियर 2 पूंजी	1,007.56	740.56
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	25,433.40	23,391.20
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	97,386.78	78,712.08
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य ईक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	25.08%	28.78%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात प्रतिशत में)	26.12%	29.72%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	15.40
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) स्थायी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी राशि, जिसमें	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूंकि बासेल III नहीं लागू है अतः आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान य

		(₹ करोड़)	
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21	
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	1,144.68	1,165.01	

(ख) अस्थायी प्रावधान

		(₹ करोड़)	
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21	
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	1,099.96	1,099.96	
लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00	
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	604.29	0.00	
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	495.67	1,099.96	

* 05 मई, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार और अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तित्व प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.06%	0.11%
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	358.68	1,111.91
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,036.20	147.11
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,095.28	900.34
(घ) इति शेष	299.60	358.68
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति*		
(क) अथशेष	185.25	729.71
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.51	(413.85)
(ग) वर्ष के दौरान कमी	64.66	130.61
(घ) इति शेष	132.10	185.25
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	173.42	453.26
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,030.31	495.19
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	1,036.23	775.03
(घ) इति शेष	167.50	173.42

*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	344.62	628.62
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5.54	1.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	285.00
(घ) इति शेष	350.16	344.62
(iii) निवल अनर्जक निवेश की प्रगति		
(क) अथशेष	0.00	285.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	285.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	344.62	628.62
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.54	1.00
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	0.00	285.00
(घ) इति शेष	350.16	344.62

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश) (%)	0.05%	0.10%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	703.31	1,740.54
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1041.73	148.11
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,095.28	1,185.34
(घ) इति शेष	649.76	703.31
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	185.25	1,014.70
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.51	(698.84)
(ग) वर्ष के दौरान कमी	64.66	130.61
(घ) इति शेष	132.10	185.25
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	518.05	1,081.89
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,035.84	502.89
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते में डालना	1,036.23	1,066.73
(घ) इति शेष	517.66	518.05

(घ) पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पुनर्चयना का प्रकार → आसित वर्गीकरण → विवरण ↓	अन्य			योग				
		मानक अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्चित खाते (शुरुआती आंकड़े)*	11	9	11	31	11	9	11	31
	उधारकर्ताओं की संख्या	52.45	22.35	76.58	151.38	52.45	22.35	76.58	151.38
	बकाया राशि	0.01	1.10	0.53	1.64	0.01	1.10	0.53	1.64
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्चयना	1	2	-	3	1	2	0	3
	उधारकर्ताओं की संख्या	3.30	6.36	-	9.66	3.30	6.36	-	9.66
	बकाया राशि	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित मानक श्रेणी में उन्नयन	6	(5)	(1)	-	6	(5)	(1)	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	24.92	(12.87)	(12.05)	-	24.92	(12.87)	(12.05)	-
	बकाया राशि	1.03	(0.97)	(0.06)	-	1.03	(0.97)	(0.06)	-
4	पुनर्चित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्चित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
	उधारकर्ताओं की संख्या	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)	(8.93)
	बकाया राशि	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का अपन्नयन	-	(3)	3	-	-	(3)	3	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	(4.53)	4.53	-	-	(4.53)	4.53	-
	बकाया राशि	-	(0.01)	0.01	-	-	(0.01)	0.01	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों का बड़े खातों में डालना	(1)	(1)	(3)	(5)	(1)	(1)	(3)	(5)
	उधारकर्ताओं की संख्या	(1.79)	(4.95)	(36.38)	(43.12)	(1.79)	(4.95)	(36.38)	(43.12)
	बकाया राशि	(0.85)	(0.12)	(0.43)	(1.40)	(0.85)	(0.12)	(0.43)	(1.40)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्चित खाते (अंतिम आंकड़े)*	14	2	10	26	14	2	10	26
	उधारकर्ताओं की संख्या	69.95	6.36	32.68	108.99	69.95	6.36	32.68	108.99
	बकाया राशि	0.18	0.02	0.05	0.25	0.18	0.02	0.05	0.25

* मानक पुनर्चित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

नोट: क्रमांक 6 के आंकड़ों में ₹ 2.20 करोड़ की कटौती/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि और मौजूदा पुनर्चित खातों के संबंध में ₹ 0.84 करोड़ का प्रावधान और ₹ 4.21 करोड़ की राशि के 3 उधारकर्ताओं को बंद करना और ₹ 4.21 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

(ड) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़)		
विवरण	वि व 2021-22	वि व 2020-21
लेखा अवधि की प्रारंभिक तिथि के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अथशेष)	358.68	1,396.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	1,036.20	147.11
उप-योग (क)	1,394.88	1,544.02
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	37.62	20.04
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	46.93	119.68
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बढ़ा खाता	1,005.06	760.62
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बढ़े खाते में डाले गए*	5.67	285.00
उप-योग (ख)	1,095.28	1,185.34
पिछले वर्ष (इति शेष) के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	299.60	358.68

(च) बढ़े खाते में डालना एवं वसूलियां

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बढ़े खाते में अथशेष	2,624.88	2,007.01
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते	1,005.06	760.62
उप-योग (क)	3,629.94	2,767.63
घटाएँ: वास्तविक बढ़े खाते	37.83	0.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़े खाते में से की गई वसूलियाँ	202.92	142.75
उप-योग (ख)	240.75	142.75
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	3,389.19	2,624.88

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यहास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	22,574.77	17,786.59
(क) भारत में	22,574.77	17,786.59
(ख) भारत से बाहर		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	356.49	365.38
(क) भारत में	356.49	365.38
(ख) भारत से बाहर		
(iii) निवल निवेश	22,218.28	17,421.21
(क) भारत में	22,218.28	17,421.21
(ख) भारत से बाहर		
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	20.76	291.12
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.22	14.64
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बढ़े खाते में डाले गए*	14.65	(285.00)
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	-
(vi) इति शेष	6.33	20.76

* बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते में ₹ 10.96 करोड़ (लागू करों का निवल) विनियोजित किया है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)		
लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(8.89)	15.64
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	408.19@	439.44
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	511.52	816.21
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)\$	(20.33)\$	487.92

@ पुनर्संरचना प्रावधान का निवल

\$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

(ञ) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	96.30%	93.41%

* पीसीआर के परिकलन के समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है

(ट) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	1	5
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि (₹ करोड़ में)	6.67	323.54
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूली / बढ़े खाते में डालने / अप्राप्त ब्याज की निवल राशि (₹ करोड़ में)	6.47	285.28
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (₹ करोड़ में)	-	183.6
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (करोड़ में)	6.47	285.28
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि / (₹ करोड़ में)	-	-

4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन
(क) रेपों संव्यवहार

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	3,735.68	348.89	2,568.91
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	21,610.09	6,450.69	299.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2021 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1,024.92	59.11	499.95
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	17,677.11	5,132.33	4,054.99
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ताओं की संघटना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			असूचीबद्ध प्रतिभूति
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया	निवेश श्रेणी निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित प्रतिभूतियां	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,261.18	995.52	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाएं	7,774.07	7,391.18	-	78.55	1,497.08
(iii) बैंक	5,901.64	5,798.13	10.00*	103.50	5,256.10
(iv) निजी कार्पोरेट्स	642.88	424.02	-	373.50	364.61
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	-	0.00	0.00
(vi) अन्य	2,993.99	2,993.99	-	994.09	2,994.00
(vii) मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	(354.96)	-	-	-	.
योग	18,218.80	17,602.84	10.00	1,549.64	10,111.79

* निवेश की तारीख के बाद रेटिंग डाउनग्रेड होने के कारण।

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरण कर दिया। उपरोक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश पर कोई अंतरण नहीं हुआ था।

5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गई आस्तियों के विवरण

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	शून्य	शून्य
(ii) एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़)		
विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) एआईएफआई द्वारा बेची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग	0.27	0.27

ख) खरीदी गयी /बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1. बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	शून्य	शून्य
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

6. परिचालन परिणाम

(₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	4.21	5.57
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.18	0.46
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.33	2.18
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.16	1.71
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.13	2.50

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी मार्केट एक्सपोजर

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो;	456.70	468.59
(ii) शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, (आईपीओएस / ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कं पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कं पनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हामीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,024.82	1,140.06
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	1,481.52	1,608.65

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(₹ करोड़)

जोखिम श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22	
	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान
नगण्य	11,269.51	27.66
निम्न	998.70	-
मामूली	1.00	-
उच्च	-	-
बहुत उच्च	-	-
निर्बाधित	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-
योग	12,269.21	27.66

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र. सं.	पैण संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं.	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उनका प्रतिशत:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	15.53	170.28	8.28	75.63
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	61.06	669.47	59.73	545.63
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत:

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	1,072.24	0.48	977.27	0.63
ऑटो अनुषंगी	871.11	0.39	694.96	0.44
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	601.17	0.27	537.01	0.34
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	580.84	0.26	515.72	0.33
वस्त्र उत्पाद	821.55	0.37	475.59	0.30

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है।

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्ट्रिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियाँ	2,07,923.53	1,51,599.34
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का उधारियों में प्रतिशत	84.38%	82.64%

(ii) ऋण जोखिम का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,69,786.49	1,27,260.75
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	76.35%	74.88%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	2,06,873.95	1,36,729.01
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	70.82%	70.49%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. क्षेत्र सं.	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I. औद्योगिक क्षेत्र	1,97,731.72	199.00	0.10%	1,54,828.92	282.31	0.18%
1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	0.00
2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	0.00
3 राज्य सरकार	-	-	-	-	-	0.00
4 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	31.92	-	-
5 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,82,705.34	-	-	1,42,840.85	-	-
6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	592.25	-	-	254.77	-	0.00
7 सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	0.00
8 निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	14,434.13	199.00	1.38%	11,701.38	282.31	2.41%
II. अल्प वित्त क्षेत्र	4,230.17	40.32	0.95%	2,699.06	16.09	0.60%
III. अन्य*	20,414.26	60.28	0.30%	12,428.42	60.28	0.49%
योग (I+II+III)	2,22,376.15	299.60	0.13%	1,69,956.40	358.68	0.21%

* गैरबैंकिंग वित्त कं पनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8. व्युत्पन्नियाँ

(क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र.सं. विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
i) विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	185.58	215.67
ii) इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	2.29	9.73
iii) इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	Nil	Nil
iv) इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	3.25	10.97
v) विनिमय बही का उचित मूल्य	2.29	9.73

31 मार्च, 2022 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र.सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 1,85,58,43,530.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

31 मार्च, 2021 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र.सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 2,15,66,65,938.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़)

क्र.सं. विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
i) वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii) यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii) बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नो में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

- (1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में हैं जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।
- (2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं. व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है. व्युत्पन्नो के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।
- (3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणत्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र . विवरण सं.	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1 व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	3,902.68	185.58	5,384.68	215.67
(i) बचाव के लिए	3,902.68	185.58	5,384.68	215.67
(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2 मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	296.35	2.29	360.81	9.73
(i) आस्ति (+)	296.35	2.29	423.85	9.73
(ii) देयता (-)	-	-	(63.04)	-
3 ऋण एक्सपोजर [2]	557.49	3.25	635.21	10.96
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)	56.18	(0.02)	86.83	(4.75)
(i) बचाव व्युत्पन्नियों पर	56.18	(0.02)	86.83	(4.75)
(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5 वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पी वी 01	-	-	-	-
(i) बचाव पर	88.26/56.18	(2.37)/(4.82)	467.38/1.09	(4.75)/(7.99)
(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च, 2021 को एलओसी विषयक बकाया	वर्ष के दौरान जारी एलओसी	वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी	यथा 31 मार्च, 2022 को एलओसी विषयक बकाया
एलओसी की संख्या राशि	एलओसी की संख्या राशि	एलओसी की संख्या राशि	एलओसी की संख्या राशि
- -	- -	- -	- -

10. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	24	357	4,778	21,136	29,349	1,13,265	1,227	568	1,70,704
अग्रिम	5,107	122	28,643	25,261	56,856	1,02,410	3,260	550	2,22,209
निवेश	3,348	3,127	4,813	14,759	10,855	58	844	3,284	41,088
उधारियां	6,567	3,865	28,593	3,008	17,812	13,817	1,010	1,040	75,712
विदेशी मुद्रा आस्तियां	12	5	600	645	728	3,569	130	18	5,707
विदेशी मुद्रा देयताएँ	6	5	523	54	606	2,357	872	808	5,231

एलएम में केवल सिडबी और मुद्रा के आंकड़े शामिल हैं।

11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12. व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	11.47	16.60
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.16	1.71
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.13	2.50

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है

14. ग्राहकों की शिकायत

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	7	3
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	234	357
3 वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	240	353
3(i) जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	19	27
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	7

2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात् मद विशेष संबंधी शिकायत)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
ऋण और अग्रिम	-	43	(27.12)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	26	160	-	-
अन्य	7	165	(42.71)	1	-
पिछले वर्ष					
ऋण और अग्रिम	-	59	126.92	-	-
"बिना किसी पूर्व सूचना / अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	10	42.86	-	-
अन्य	3	288	57.38	7	4

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था। इस प्रयोजन के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15. प्रायोजित किये गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में वि व 2021-22 के दौरान 'अन्य आय में पूर्ववर्ती अवधि की आय ₹ 4,66,88,641 शामिल है [पिछले वर्ष में 517,47,91,918] और अनुसूची XIV में वर्णित वि व 2020-21 के लिए पूर्व के परिचालनगत व्यय (₹ 2,58,64,368) [पिछले वर्ष का व्यय (₹ 3,48,09,052)] शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनवर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

व्यवसाय खंड	शोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021	वि व 2022	वि व 2021
1 खंड राजस्व	1,209	1,161	7,597	9,570	1,327	895	10,133	11,626
असाधारण मर्दे							-	518
योग							10,133	12,144
2 खंड परिणाम	339	190	2,000	2,699	580	258	2,919	3,147
असाधारण मर्दे							-	518
योग							2,919	3,665
अविनिधानीय खर्चे							240	227
परिचालन लाभ							2,679	3,438
आयकर (पुनरांकन के बाद)							511	816
सहयोगियों संस्थाओं में लाभ का हिस्सा							(6)	(15)
निवल लाभ							2,162	2,607
3 अन्य सूचना								
खंड आस्तियां	14,433	11,678	2,22,253	1,69,174	40,391	31,421	2,77,077	2,12,273
अविनिधानीय आस्तियां							1,803	1,418
कुल आस्तियां							2,78,880	2,13,691
खण्ड देयताएं	10,618	8,387	2,04,270	1,55,074	35,894	26,509	2,50,782	1,89,970
अविनिधानीय देयताएं							2,765	1,883
योग-							2,53,547	1,91,853
पूंजी / आरक्षितियाँ	3,753	3,261	17,194	13,931	4,386	4,646	25,333	21,838
योग							25,333	21,838
कुल देयताएं							2,78,880	2,13,691

भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

(ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण
(i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री सिवसुब्रमणियन रमण

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री वी. सत्य वैकट राव

उप प्रबंध निदेशक

श्री सुदत्त मंडल

उप प्रबंध निदेशक

(ii) संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ करोड़)

मर्दे /संबंधित पक्ष	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	योग
उधारियां #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
जमा #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	1.00	-	1.00
जमा स्थानन #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
निवेश #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अनिधिकृत वचनबद्धताएं #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	0.04	-	0.04
प्राप्त ब्याज	-	-	-
प्राप्त्य लाभांश	-	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-
सेवा देना *	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति *	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं **	1.36	-	1.36

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है।

* करारगत सेवाएं आदि किन्तु विप्रेषण सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं

**मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

		(₹ करोड़)	
31 मार्च, 2022	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
34,38,65,96,767	लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन :		26,79,30,78,392
24,08,96,441	मूल्यहास	36,43,50,321	
15,61,67,178	निवेश में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान	5,53,33,454	
9,96,54,25,918	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	4,25,62,57,499	
(6,26,11,65,982)	निवेश बिक्री से लाभ	(5,61,92,51,814)	
(7,76,607)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(14,17,772)	
(4,28,83,77,871)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(19,46,66,611)	(1,13,93,94,923)
34,19,87,65,844	परिचालनों से उपार्जित नकदी		25,65,36,83,469
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
10,78,68,65,477	चालू आस्तियाँ	(1,69,73,67,138)	
23,82,87,52,411	चालू देयताएँ	81,68,99,06,362	
1,39,26,20,479	विनिमय बिल	(13,44,52,273)	
47,97,61,52,650	विनिमय बिल	(5,24,06,31,06,808)	
(1,66,13,19,29,316)	बॉन्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	3,66,23,05,27,707	
1,53,62,00,55,791	प्राप्त जमा	1,46,00,55,73,814	
71,47,25,17,492			68,03,10,81,664
1,05,67,12,83,336			93,68,47,65,133
(4,83,84,41,797)	कर अदायगी	(5,95,87,95,346)	(5,95,87,95,346)
1,00,83,28,41,539	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		87,72,59,69,787
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(14,84,01,808)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(52,08,63,542)	
(1,47,57,92,56,439)	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	(1,37,41,19,14,844)	
4,53,97,66,761	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	47,78,14,760	
(1,43,18,78,91,486)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,37,45,49,63,626)
	3. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	14,22,80,00,000	
(25,13,88,890)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,34,69,92,211)	
(25,13,88,890)	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		12,88,10,07,789
(42,60,64,38,837)	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)		(36,84,79,86,050)
1,23,10,73,97,268	5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		80,50,09,58,431
80,50,09,58,431	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		43,65,29,72,381
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,63,600	हाथ में नकदी		7,23,087
95,09,81,136	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		92,90,15,875
37,50,81,24,592	म्यूचुअल फंड		19,99,90,00,050
42,04,11,89,103	जमाराशियाँ		22,72,42,33,369

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ संलग्नक 1

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते बोरकर एंड मुजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदन्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in



@sidbiofficial



SidbiOfficial



SidbiOfficial